अध्याय 2
निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय 'राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा' तथा 'विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना' की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करता है।

वन विभाग

2.1 राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा

कार्यकारी सारांश

वन पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता एवं व्यापक पारिस्थितिक तन्त्र में से हैं। ये मानव जीवन के लिये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे जल, भोजन, आवास, औषधि, ईंधन, चारा एवं इमारती लकड़ी आदि उपलब्ध कराते हैं। ये जैव विविधता जैसे कि जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि को आश्रय एवं सहायता भी प्रदान करते हैं। राजस्थान के वन, वनस्पति एवं जीवों की लगभग 3,000 ज्ञात प्रजातियों से समृद्ध हैं।

राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पांच प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 31 मार्च 2012 तक केवल 2.81 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय मरूउद्यान जैसलमेर एवं बाघ परियोजना सरिस्का को दिसम्बर 2012 तक राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने हेतु अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं की गई।

संरक्षित क्षेत्रों, जैसे कि भैंसरोड़गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ परियोजना सरिस्का तथा राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य में जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपाय नहीं किये गये।

सभी वन क्षेत्रों/खण्डों को अधिसूचित किये जाने के अभाव, राजस्व नक्शों पर वन क्षेत्रों के चिन्हिकरण के अभाव, स्तम्भों के द्वारा वन सीमाओं के चिन्हिकरण के अभाव तथा वन नक्शों के डिजिटाईजेशन के अभाव के कारण राज्य सरकार वनों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने में विफल रही।

राज्य सरकार मध्यम सघन वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा में सफल नहीं रही।

जैविक संसाधन और पारम्परिक ज्ञान के प्रलेखन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने शेष थे।

नमूना जॉच किये गये सात वन्य जीव मण्डलों में वर्ष 2009-12 के दौरान पारिस्थितिक विकास सरचार्ज की एकत्रित की गई राशि ₹ 16.76 करोड़ का पारिस्थितिक विकास गतिविधियों में उपयोग नहीं किया गया।

2.1.1 प्रस्तावना

राजस्थान में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र (3,42,239 वर्ग किमी) का 4.7 प्रतिशत (16,087 वर्ग किमी) वन आवरण[1] है। तथापि, भूमि उपयोग स्वरूप, जैसा कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, 2010 में स्वीकार किया गया, वन भूमि आवरण में कमी तथा मरूस्थल भूमि में वृद्धि दर्शाता है। राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु, 'वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972' (वजीसंअ), 'वन संरक्षण अधिनियम, 1980' (वसंअ) एवं 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' (जैविअ) के साथ, एक विस्तृत वैधानिक ढ़ांचा है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यत: प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के उद्देश्यों हेतु 'राजस्थान राज्य वन नीति 2010' (पॉलिसी) भी अधिसूचित (फरवरी 2010) की गई। तत्पश्चात, वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (केराउ) में पानी की कमी की समस्या का समाधान, वन्य जीव सलाहकार मण्डल की बैठकें, धरोहर स्थलों का चयन एवं राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (जैविप्रस) के गठन की कार्यवाही प्रारम्भ करने जैसे अनुकूल कदम उठाये गये।

राजस्थान में तीन[2] राष्ट्रीय उद्यानों[3] (राउ), 25 वन्य जीव अभ्यारण्यों[4](वजीअ) एवं छ:[5] कन्जर्वेशन रिजर्व[6](करि) को समाविष्ट करते हुये 9,620.04 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र[7](संक्षे) नेटवर्क (मार्च 2012) है।

---

1. पेडों के द्वारा आवरित क्षेत्र (इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार)।
2. रणथम्भौर बाघ परियोजना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान।
3. एक पर्याप्त पारिस्थितिक/जीव/वनस्पतिय महत्व होने और क्षेत्र में वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य के लिये घोषित; अन्दर रहने वाले लोगों को कोई अधिकार की अनुमति नहीं है।
4. एक पर्याप्त पारिस्थितिक/जीव/वनस्पति महत्व होने और क्षेत्र में वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य के लिये घोषित; अन्दर रहने वाले लोगों को निश्चित अधिकारों की अनुमति है।
5. बीसलपुर करि, जोड़बीड़ गठवाला करि, सुन्धामाता करि, गुढ़ा विश्नोइयां करि, शाकम्भरी करि एवं गोगेलाव करि।
6. सरकार के स्वामित्व वाले, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों से जुडे क्षेत्र एवं ऐसे क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं; अन्दर रहने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते।
7. प्रकृति के संरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार, एक संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी तन्त्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रकृति के दीर्घकालीन संरक्षण की प्राप्ति हेतु स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र, मान्यता प्राप्त, समर्पित और कानूनी या अन्य प्रभावी साधनों के माध्यम से प्रबन्धित क्षेत्र, होता है।

2.1.2 संगठनात्मक स्वरूप

विभाग का संगठनात्मक स्वरूप निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:-

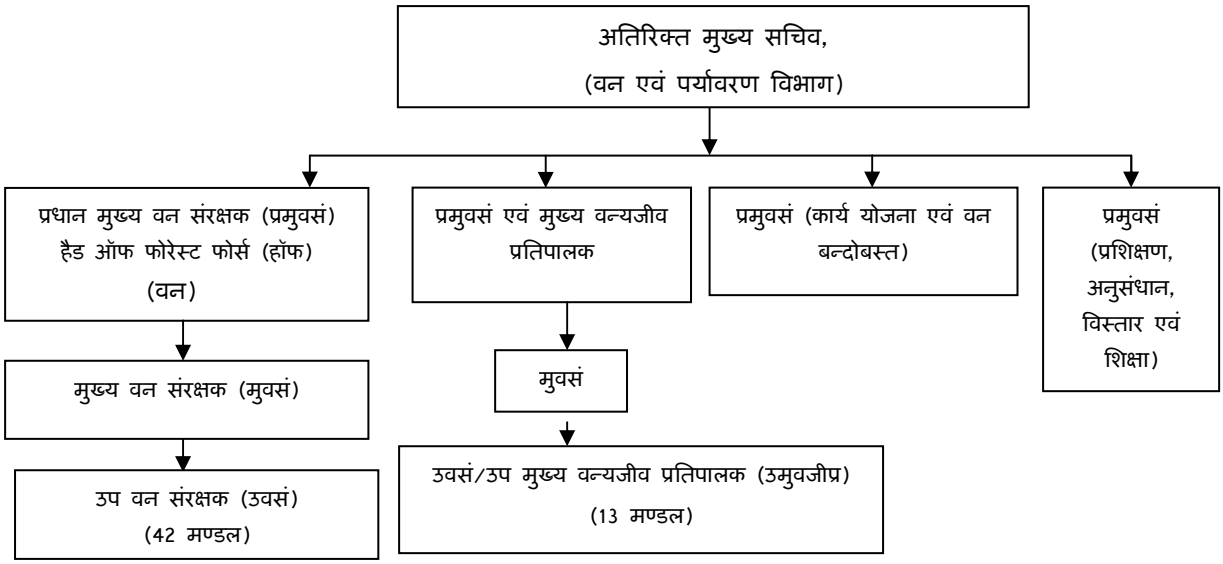

2.1.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र से बाहर जैव विविधता के संरक्षण, परियोजनाओं के विकास हेतु वनों के प्रत्यावर्तन प्रक्रिया एवं पारम्परिक पारिस्थितिक ज्ञान व जैव विविधता के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2009-12 के दौरान किये गये प्रयासों को, सम्मिलित किया गया।

2.1.4 लेखापरीक्षा नमूना एवं कार्यप्रणाली

राजस्थान के 55 वन एवं वन्य जीव मण्डलों[8] में से आठ वन्य जीव मण्डलों[9] एवं नौ वन मण्डलों[10] का, जिनमें तीन राष्ट्रीय उद्यान[11] एवं 16 वन्य

8. वन: 42 और वन्य जीव: 13
9. उवसं एवं उप निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर; उमुवजीप्र,केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर; उवसं बाघ परियोजना, सरिस्का; उवसं वन्य जीव, कोटा; उप निदेशक, राष्ट्रीय मरूउद्यान, जैसलमेर; उवसं, वन्य जीव चित्तौड़गढ़; उमुवजीप्र, उदयपुर एवं उवसं, जयपुर (मध्य)।
10. उवसं, जयपुर (उत्तर); उवसं, उदयपुर (दक्षिण); मवअ, बांसवाड़ा; मवअ, जोधपुर; उवसं, नागौर; उवसं, भीलवाड़ा; उवसं, श्रीगंगानगर; उवसं, झुन्झुनू और मवअ, झालावाड़।
11. रणथम्भोर बाघ परियोजना, केवलादेव राठ और मुकुन्दरा हिल्स राठ।

जीव अभ्यारण्य[12] समाहित हैं, का तीन मापदण्डों: व्यय, जोखिम निर्धारण एवं वनों के भौगोलिक फैलाव, के आधार पर सरल व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि के अनुसार विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रमुवसं (हॉफ), जयपुर, राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं कृषि तथा पशुपालन निदेशालयों के अभिलेखों की भी समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली में प्रलेखों की समीक्षा, सम्बन्धित सूचनाओं का संग्रहण एवं आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा, अवधि 2009-10 से 2011-12 को आवृत करते हुये, फरवरी से जून 2012 के दौरान की गई।

अतिरिक्त शासन सचिव के साथ दिनांक 21 फरवरी 2012 को हुई प्रारम्भिक वार्तालाप बैठक में लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं मापदण्डों की कार्य प्रणाली पर चर्चा हुई। विभागीय प्राधिकारियों के साथ दिनांक 26 अक्टूबर 2012 को अन्तिम वार्तालाप बैठक हुई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हुई एवं प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने के बारे में इंगित किया गया। राज्य सरकार का प्रत्युत्तर अपेक्षित रहा (दिसम्बर 2012)।

2.1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में निम्न आंकलन करना था:

- वनों एवं वन्य जीवों को संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के द्वारा सुरक्षा के लिये किये गये उपाय;
- वनों एवं वन्य जीवों की, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से बाहर, सुरक्षा के लिये किये गये उपाय;
- विकास गतिविधियों के लिये वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना;
- पारम्परिक पारिस्थितिक ज्ञान और जैव विविधता के संरक्षण हेतु किये गये उपाय तथा
- वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिये मितव्ययतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से राशियों का उपयोग।

12. सवाईमानसिंह वजीअ, जवाहर सागर वजीअ, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, सीतामाता वजीअ, बस्सी वजीअ, भैंसरोडगढ़ वजीअ, कुम्भलगढ़ वजीअ, फुलवारी की नाल वजीअ, टाटगढ़ वजीअ, जयसमन्द वजीअ, सज्जनगढ़ वजीअ, बाघ परियोजना सरिस्का, राष्ट्रीय मरूउद्यान, जैसलमेर, जमवारामगढ़ वजीअ, दर्रा वजीअ और नाहरगढ़ वजीअ।

2.1.6 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न से व्युत्पन्न किये गये:

- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (वजीसंअ), 1972;
- वन संरक्षण अधिनियम (वसंअ), 1980;
- राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, 2010;
- राजस्थान राज्य वन नीति, (पॉलिसी) 2010;
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (रावकायो), (2002-16) तथा
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 ।

2.1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विस्तृत विवरण निम्न अनुच्छेदों में दिया गया है:-

2.1.7.1 संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से वन्य जीवों की सुरक्षा

वजीसंअ, 1972 के प्रावधानों, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया, के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों को गठित एवं विनियमित किया गया। इस अधिनियम के क्रियान्वयन को अन्य अधिनियमों से सम्पूरित किया गया, जैसे-वसंअ 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं जैविअ 2002। राज्यों के वन विभागों पर राष्ट्रीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निहित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा स्वयं की वन नीति (2010) अधिसूचित की गई जिस के अन्तर्गत सकल भौगोलिक क्षेत्र में से न्यूनतम पाँच प्रतिशत क्षेत्र को पृथक करना एवं संरक्षित क्षेत्र अधिघोषित किया जाना था। 31 मार्च 2009 को तीन राष्ट्रीय उद्यानों, 25 वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं छः कन्जर्वेशन रिजर्वों से समाविष्ट, केवल 9,483.15 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क आवृत्त किया गया, जोकि 31 मार्च 2012 को बढ़कर 9,620.04 वर्ग किमी हो गया। इस प्रकार कुल संरक्षित क्षेत्र में 17,112 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किमी का न्यूनतम पांच प्रतिशत) के विरूद्ध 7,492 वर्ग किमी की कमी रही। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र के विकास/वृद्धि के लिये शिथिल दृष्टिकोण अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप वांछित स्तर तक संरक्षित क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ। नीचे ऐसे कुछ उदाहरणों का विवेचन किया गया है:

राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने हेतु अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं किया जाना।

- रामउ, जैसलमेर की राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रारम्भिक अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा मई 1981 में जारी की गई थी लेकिन अन्तिम अधिसूचना

31 वर्षों के बाद भी मार्च 2012 तक जारी नहीं की गई। विभाग द्वारा सूचित (दिसम्बर 2012) किया गया कि भारी संख्या में लोगों के विस्थापन एवं अधिकारों के अधिग्रहण हेतु भारी लागत की आवश्यकता होने से राज्य सरकार, इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिघोषित करने हेतु, उपयुक्त नहीं मानती है। सरकार के निर्णय की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

• इसी तरह बाघ परियोजना, सरिस्का की राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रारम्भिक अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा अगस्त 1982 में जारी की गई लेकिन दिसम्बर 2012 तक अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं की गई। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभ्यारण्य में 28 गाँव व 958 परिवार मौजूद थे और उनका विस्थापन मार्च 2012 तक प्रक्रिया[13] में था। विस्थापन कार्य पूर्ण करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। फलस्वरूप बाघ परियोजना, सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी नहीं हो सकी जोकि, सरिस्का में बाघों की संख्या लगभग समाप्ति को ध्यान में रखते हुये, संरक्षण केन्द्रित प्रक्रिया हेतु सुविधा प्रदान कर सकती थी। विभाग ने तथ्य स्वीकार किये (दिसम्बर 2012) तथा अवगत कराया कि गाँवों के विस्थापन के बाद अधिघोषणा जारी की जावेगी।

कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व सृजित नहीं किया जाना।

• वजीसंअ, 1972 की धारा 36-ए एवं 36-सी उपबन्धित करती है कि राज्य सरकार स्वयं के किसी क्षेत्र को, स्थानीय समुदाय से परामर्श कर, कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती है तथा स्वेच्छा से जारी की गयी निजी/सामुदायिक भूमि, जो कि संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है, को जानवरों, पौधों एवं परम्परागत या सांस्कृतिक मूल्यों एवं चलनों के संरक्षण हेतु कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर सकती है। पॉलिसी भी कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व बनाने के लिये उपबन्धित करती है।

राज्य सरकार द्वारा अभी तक केवल छः कन्जर्वेशन रिजर्व[14] घोषित किये गये जबकि कोई भी कम्युनिटी रिजर्व घोषित नहीं किया गया (मार्च 2012)। 17 मण्डलों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि दो मण्डलों[15] द्वारा दो कम्युनिटी रिजर्व[16] सृजन के लिये प्रस्तावित किये गये। उवसं, श्रीगंगानगर ने पंचायतों की सहमति से बूढा जोहड़[17] नामक कम्युनिटी रिजर्व प्रस्तावित (अक्टूबर 2004) किया। तथापि, विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग ने भूमि का विवरण, जिला कलेक्टर एवं भूमि मालिकों की सहमति मांगी (मई

13. 352 परिवारों का विस्थापन किया गया।
14. बीसलपुर (टोंक), जोड़बीड़ गढ़वाला (बीकानेर), सुन्धा माता (जालौर), गुढा विश्नोइयान (जोधपुर), शाकम्भरी (सीकर) एवं गोगेलाव (नागौर)।
15. श्रीगंगानगर एवं नागौर।
16. बूढाजोहड़ (468.77 वर्ग किमी) एवं रोटू (455.39 बीघा)।
17. जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़।

2006)। उवसं, श्रीगंगानगर ने जून 2011 में भूमि का विवरण प्रस्तुत किया जबकि कलेक्टर एवं भूमि मालिकों की सहमति प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप बूढा जोहड़ कम्युनिटी रिजर्व घोषित नहीं हो सका (मई 2012) एवं काला हिरण, चिंकारा एवं अन्य प्रजातियॉं, जो इस क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण/योजना नहीं बनाई जा सकी।

इसी प्रकार काले हिरणों एवं चिंकारा की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु उवसं, नागौर ने जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की सहमति के साथ 'कम्युनिटी रिजर्व, रोटू गॉव' की अधिघोषणा हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 2011) लेकिन अधिसूचना मई 2012 तक प्रतीक्षित थी।

लेखापरीक्षा के जवाब में उवसं, श्रीगंगानगर ने सूचित किया (मई 2012) कि राजस्व विभाग एवं भूमि मालिकों की सहमति प्रतीक्षित है, जबकि उवसं, नागौर ने जवाब नहीं दिया (नवम्बर 2012)।

निषिद्ध क्षेत्रों को कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व क्षेत्र घोषित नहीं किया जाना।

• राज्य सरकार द्वारा वजीसंअ, 1972 की धारा 37 के अन्तर्गत वर्ष 1976 से 1986 के दौरान 33 क्षेत्रों[18] को निषिद्ध क्षेत्रों[19] के रूप में भी घोषित किया गया। वजीसंअ में संशोधन कर (2003) इस धारा को हटा दिया गया, क्योंकि वन क्षेत्रों में शिकार को पूर्णत: निषिद्ध कर दिया गया था। तथापि, ये शिकार निषिद्ध क्षेत्र राजकीय और सामुदायिक भूमि पर थे, अत: उन्हें कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित किया जाना था। तदनुसार प्रमुवसं, राजस्थान, जयपुर ने सम्बन्धित खण्डीय प्राधिकारियों को इस आशय की अधिघोषणा हेतु कार्यवाही करने के निर्देश पॉंच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद (सितम्बर 2008) दिये, जिससे इन क्षेत्रों की जैव विविधता के प्रभावी विकास एवं संरक्षण के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सके।

33 निषिद्ध क्षेत्रों में से केवल दो[20] कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किये गये तथा आठ वर्ष छ: माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी 31 क्षेत्रों, जिनमें 14,370.18 हैक्टेयर भूमि समाविष्ट है, को कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व घोषित नहीं किया गया। विभाग ने सूचित (दिसम्बर 2012) किया कि सभी निषिद्ध क्षेत्रों, जो संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा के योग्य हैं, पर विचार किया जा रहा है।

2.1.7.2 संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त उपाय

संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा किया जाना पॉलिसी का एक मुख्य उद्देश्य था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की सुरक्षा के लिये पर्याप्त

18. 14864.90 हैक्टर वन क्षेत्र समाविष्ट।

19. शिकार निषिद्ध क्षेत्र।

20. दिसम्बर 2011 में गुढा विश्नोईयान एवं नवम्बर 2008 में जोड़बीड़ गड़वाला।

उपाय नहीं किये गये, जिन्हें अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किया गया:

क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट अधिनियम के अनुरूप सृजित नहीं किये गये।

• वजीसंअ, 1972 (2006 में संशोधित) के अनुच्छेद 38(V) के अनुसार एक टाईगर रिजर्व के दो भाग होने चाहिये; एक कोर/क्रिटिकल टाईगर हेबिटाट (सीटीएच) जोकि एक अनुल्लंघित क्षेत्र होगा व एक बफर क्षेत्र जोकि सीटीएच के लिये परिधीय क्षेत्र होगा, जहाँ कम आवास सुरक्षा वांछित हो।

राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर बाघ परियोजना एवं बाघ परियोजना सरिस्का, जिसमें क्रमश: 1,113.36 वर्ग किमी (राउ का कुल क्षेत्र 1,394.48 वर्ग किमी) तथा 881.11 वर्ग किमी (वजीअ का कुल क्षेत्र 881.11 वर्ग किमी) क्षेत्र समाविष्ट हैं, सीटीएच अधिसूचित (दिसम्बर 2007) किया गया। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि रणथम्भौर बाघ परियोजना एवं बाघ परियोजना सरिस्का दोनों में जो क्षेत्र सीटीएच घोषित किया गया था, अनुल्लंघित नहीं था तथा कोर क्षेत्र में मानव एवं पशु आवास कर रहे थे। इस दृष्टि से रणथम्भौर बाघ परियोजना का सीटीएच में सृजन पूर्वाक्त अधिनियम के अनुरूप नहीं था। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (राबासंप्रा) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह नहीं था कि सीटीएच अधिघोषणा के समय सीटीएच में कोई मानव बस्ती नहीं होगी। गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया प्रगति में है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत सीटीएच अनुबन्धित एवं सुरक्षित क्षेत्र होना चाहिए जबकि पाँच वर्ष पश्चात् भी मानव एवं पशुओं को विस्थापित नहीं किया गया है।

एक राउ/वजीअ को दूसरे से जोड़ने के लिये कोरिडोर निर्माण नहीं किया जाना।

• राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना 2002-16 के अनुसार राज्यों को संकटापन्न एवं जीर्ण प्रजातियों को शरण देने के लिये मुख्य संरक्षित क्षेत्रों के बीच वन्य जीव कोरिडोर[21] की पहचान करनी थी।

तीन मण्डलों[22] की नमूना जाँच में यह प्रेक्षित हुआ कि राज्य सरकार ने रणथम्भौर बाघ परियोजना; कैलादेवी वजीअ; सवाई मानसिंह वजीअ; रामगढ़ विषधारी वजीअ; जवाहर सागर वजीअ एवं मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिये, वन्य जीवों जैसे-बाघों के सुरक्षित घूमने की प्रबन्ध इकाई के रूप में 'राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व कॉरिडोर' नामक कोरिडोर के लिये

---

21. मानव गतिविधियों (जैसे कि सड़कें, विकास या लॉगिंग) से पृथक रखा गया वन्य जीवों के आवास को जोड़ने वाला क्षेत्र, एक वन्य जीव कॉरिडोर कहलाता है। यह जानवरों के मध्य प्राकृतिक आपसी विनियम को स्वीकार करता है, जो अन्त: प्रजनन एवं अल्प आनुवांशिक विविधता के विपरीत प्रभावों के बचाव में मदद कर सकता है जोकि प्राय: विलग प्रजातियों में उत्पन्न होता है। कॉरिडोर यादृच्छिक घटनाओं (जैसे कि आग या बीमारी) के कारण जानवरों की कम या विलुप्त हुई संख्या को पुन: स्थापित करने में मदद करता है। यह आवास अपखण्डन के कुछ खराब प्रभावों को कम कर सकता है।
22. रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर, बाघ परियोजना सरिस्का एवं वन्य जीव कोटा जिनमें बाघ पाये जाते हैं एवं जो वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े हुये हैं।

एक प्रस्ताव (जनवरी 2012) अनुमोदित किया। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है।

गोडावण की सुरक्षा का अभाव।

• भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला गोंडावण, एक संकटापन्न पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (दिसम्बर 2011) के अनुसार देश में केवल 296 गोडावण हैं जिनमें से 175 राजस्थान में पाये जाते हैं। भारत सरकार के 'रिकवरी प्रोग्राम फोर सेविंग क्रिटीकली एनडेनजर्ड स्पीसीज एण्ड हैबिटाट्स' के अन्तर्गत गोडावण को भी चिन्हित किया गया (अप्रैल 2010)।

लेखापरीक्षा के दौरान यह प्रेक्षित हुआ कि राज्य सरकार द्वारा गोड़ावण के लिये कोर क्षेत्र विकास, बाड़ा निर्माण, चारागाह एवं ढ़ाँचागत विकास हेतु ₹ 34.35 करोड़ की रिकवरी योजना भारत सरकार को प्रस्तुत (अगस्त 2009) की गई, जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित (मई 2012) था। विभाग द्वारा भारत सरकार को मामला आगे बढ़ाये जाने के लिये किये गये प्रयास अभिलेखों में नहीं थे। तथापि, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक केन्द्र प्रवर्तित योजना 'इंटीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाईफ' के अन्तर्गत उप निदेशक, रामठ जैसलमेर को, अभ्यारण्य की विभिन्न गतिविधियों[23] के लिये ₹ 1.05 करोड़ जारी किये गये। लेखापरीक्षा ने आगे प्रेक्षित किया कि यद्यपि यह राशि इन गतिविधियों पर व्यय की गई तथापि, गोडावण की सुरक्षा/संरक्षण के अप्रभावी उपायों/योजनाओं तथा भारत सरकार द्वारा रिकवरी प्लान स्वीकृत नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप विभाग में फण्ड की अनुपलब्धता के कारण गोड़ावण की संख्या में कमी (2008 में 73 एवं 2011 में 52) पाई गई। यह भी कि, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय मरूउद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर के लिये अधिसूचित किये गये 3,162 वर्ग किमी क्षेत्र में से केवल 50.76 वर्ग किमी क्षेत्र (वजीअ का दो प्रतिशत क्षेत्र) ही वास्तव में वन भूमि थी जबकि शेष निजी, सरकारी एवं राजस्व भूमि थी। इसके अलावा, 73 गांव वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित थे, जिसके परिणामत: जैविक दबाव, प्राकृतिक आवास व्यवधान एवं आवास अपखण्डन हुआ। विभाग ने गांवों के विस्थापन एवं वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु कोई प्रयास नहीं किये।

विभाग ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) कि योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

23. नये क्लोजर का निर्माण, कैमरा ट्रैप्स एवं वायरलैस उपकरण क्रय, पुराने क्लोजर में पुन: बीजान इत्यादि।

सरिस्का वजीअ में जैव विविधता को खतरा

• बाघ परियोजना सरिस्का के कोर क्षेत्र से राज्य उच्चमार्ग (राउ)-13 एवं राउ-29ए गुजरते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राउ-13[24] से वाणिज्यिक वाहनों के संचालन पर रोक एवं इसके बजाय यातायात को उपमार्ग से गुजारने एवं राउ-29ए पर यातायात बन्द करने के निर्देश (मई 2009) दिये। 2009 से 2011 तक पाँच वन्य जीवों की दुर्घटना से मौत होने को भी अभिलेखित किया गया।

सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्दर राज्य उच्च मार्ग-13 पर यातायात

राउ-13 के वैकल्पिक रोड़ बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये आंकलन के आधार पर वन विभाग द्वारा ₹ 21.11 करोड़ का एक प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (राबासंप्रा) को भेजा गया (अगस्त 2011) जिसे 2012-13 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि राबासंप्रा ने राज्य सरकार को निर्देश दिये (नवम्बर 2011) कि परियोजना की स्वीकृति से पूर्व, प्रथमत: यह सुनिश्चित किया जाये कि राउ-29ए भारी यातायात के लिये पूर्णत: बन्द कर दिया गया है। तथापि उवसं, बाघ परियोजना सरिस्का की लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर भी राउ-13 पर भारी वाहन एवं राउ-29ए पर तीन नियमित बसें अभी तक संचालित हो रही हैं (मार्च 2012)।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि वैकल्पिक रोड़ का निर्माण हाल ही में प्रारम्भ कर लिया गया है जिसे पूर्ण होने में यथेष्ट समय लगेगा।

राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य में कमजोर कार्यप्रणाली।

• विकासात्मक दृष्टि से विश्व में घड़ियाल, नदी में निवास करने एवं मछली भक्षण करने वाला अनन्य मगरीय प्रजाति का सबसे विशिष्ट जीव है। यह इन्टरनेशनल यूनियन फोर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची में 'अतिसंकटापन्न' प्रजाति के रूप में

24. कुशालपुरा तिराया किमी 197/0 से 'थेन्क यू बोर्ड' किमी 204/0 के पास।

सम्मिलित है। वर्तमान में भारतीय उप महाद्वीप में विद्यमान इसकी प्रजनन संख्या भारत में मुख्यतया केवल दो नदियों गिर्वा, एवं चम्बल में ही सीमित रह गयी हैं। तदनुसार तीन राज्यों,[25] ने चम्बल का जो हिस्सा उनसे सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में है, को वजीअ के रूप में घोषित किया है।

राज्य सरकार द्वारा, जुलाई 1983 में राष्ट्रीय घडियाल अभ्यारण्य या नेशनल क्रोकोडाईल सेन्चुअरी (एनसीएस) घोषित कर उसका प्रबन्धन सवाईमाधोपुर, कोटा, बून्दी, करौली और धौलपुर मण्डलों के सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारियों को सौंपा गया। वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना रणथम्भौर द्वारा एनसीएस के लिये 2010-20 अवधि हेतु प्रथम प्रबन्ध योजना तैयार की गई जिसे प्रमुवसं, जयपुर द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2010) किया गया। प्रबन्ध योजना में, एनसीएस के लिये उचित कार्य प्रणाली/ योजना/कार्यक्रम के निष्पादन के लिये एक पृथक मण्डल की स्थापना किये जाने को, सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन हेतु न तो पृथक मण्डल सृजित किया गया न ही वजीअ हेतु पृथक स्टॉफ स्वीकृत एवं पदस्थ किया गया (मार्च 2012)। इसके अतिरिक्त 2010-11 तक कोई वार्षिक कार्य योजना (वाकायो) स्वीकृत नहीं की गई। वाकायो 2011-12 के लिये स्वीकृत ₹ 76.00 लाख के विरूद्ध मात्र ₹ 50.29 लाख का उपयोग किया गया। आगे, न तो घड़ियालों की गणना की गई (मार्च 2012) एवं न ही राज्य सरकार के पास घड़ियालों की जीवितता स्थिति की जानकारी थी।

मुवसं, कोटा ने तथ्य स्वीकार किये (मई 2012)। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि एनसीएस के लिये एक पृथक मण्डल जुलाई 2012 में सृजित कर लिया गया है तथा पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध करा दिया गया है।

भैंसरोड़गढ़ वजीअ में प्राकृतिक आवासों की अवनति।

- राज्य सरकार द्वारा 193.09 वर्ग किमी क्षेत्र को भैंसरोड़गढ़ वजीअ के रूप में घोषित (फरवरी 1983) किया। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि वजीअ की प्रबन्ध योजना (2003-13) में, 26 राजस्व ग्राम और 17.73 वर्ग किमी कृषि भूमि सम्मिलित करते हुए, 80.45 वर्ग किमी गैर वनभूमि का उल्लेख था। 2009-11 अवधि की वन्यजीव गणना प्रतिवेदनों में वन्यजीव अभ्यारण्य में पशुओं, जैसे कि जरख, सियार, जंगली सुअर, मगरमच्छ, जंगली बिल्ली आदि, की संख्या में कमी[26] पायी गई। राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य में अधिक जैविक दबाव के कारण प्राकृतिक वास स्थलों में अवनति को रोकने के लिये गॉवों के विस्थापन की कोई योजना नहीं बनाई गयी (मार्च 2012)।

25. मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश, जिनमें चम्बल प्रवाहित होती है।
26. 2009-11 के दौरान जानवरों की कमी हुई (जरख: 26 से 18, सियार: 157 से 73, जंगली सुअर: 342 से 152, मगरमच्छ: 31 से 18 और जंगली बिल्ली: 38 से 19)।

संकटापन्न भालुओं की सुरक्षा के अप्रभावी उपाय।

• पॉलिसी में अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिमी भागों, विशेषत: जालौर जिले की जसवन्तपुरा पहाड़ियों, में भालू की आबादी के संरक्षण हेतु क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता का उल्लेख है।

यह प्रेक्षित हुआ कि भालू की सुरक्षा के लिये वजीअ घोषित नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा जालौर जिले के जसवन्तपुरा वनखण्ड में केवल एक कन्जर्वेशन रिजर्व 'सुन्धामाता' घोषित किया गया (जुलाई 2010)। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में मार्च 2012 तक भालू की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गई। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि भालू के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

संरक्षित क्षेत्रों के भीतर रहने वाले लोगों का विस्थापन नहीं किया जाना।

• राज्य पर्यावरण नीति में कहा गया है कि संरक्षित क्षेत्र के आस-पास के गाँवों का विस्थापन चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से शीघ्रता से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान (64) एवं सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य (28) के कोर क्षेत्र में कुल 92 गाँवों की, विस्थापन हेतु पहचान की गई (2007-08)।

लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2012 तक रणथम्भौर बाघ परियोजना के 565 (1615 में से) परिवारों वाले 61 गाँवों एवं बाघ परियोजना सरिस्का के 606 (958 में से) परिवारों वाले 26 गाँवों का विस्थापन किया जाना शेष था। ग्रामीणों की अतिरिक्त मांगों के कारण विस्थापन की प्रक्रिया धीमी थी जोकि विस्थापन पैकेज की कमी को इंगित करता है।

उवसं, बाघ परियोजना सरिस्का ने प्रत्युत्तर में सूचित किया (अप्रैल 2012) कि ग्रामीणों की सहमति नहीं होने के कारण विस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्थापन के लिये ग्रामीणों से सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है जो काफी समय लेता है। यदि राबासंप्रा से पर्याप्त धन प्राप्त होता है तो इस कार्य को वांछित स्थिति तक लाया जा सकता है।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर रहने वाले सभी लोगों के विस्थापन में सफल नहीं रही, यद्यपि विस्थापन की प्रक्रिया गत 35 वर्षों से निरन्तर जारी है जबकि इन राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में इनकी उपस्थिति वन्य जीवों को खतरा पैदा करने वाली है।

राज्य वन्य जीव अपराध ब्यूरो की स्थापना नहीं किया जाना।

• वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन 2006 (धारा 38 वाई), केन्द्रीय स्तर पर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वजीअनिब्यूरो) के गठन हेतु प्रावधान करता है जो वन्य जीव अपराध के क्षेत्र में राज्य सरकारों से समन्वय रखेगा। राज्य सरकार ने अपनी पॉलिसी में वन्य जीव संबंधी अपराधों से निपटने, गुप्त सूचना एकत्र करने एवं वन्य जीव अपराधों के त्वरित

तथ्यान्वेषण करने हेतु राज्य वन्य जीव अपराध ब्यूरो (रावजीअब्यूरो) की स्थापना का उल्लेख किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा रावजीअब्यूरो का, नवम्बर 2012 तक गठन नहीं किया गया। 15 मण्डलों[27] की नमूना जॉच में पाया गया कि अप्रैल 2009 तक 463 प्रकरण बकाया थे। वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमश: 83, 117 एवं 79 वन्य जीव अपराध प्रकरण दर्ज किये गये तथा 48, 70 तथा 120 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मार्च 2012 के अन्त में 303 प्रकरण विभागीय स्तर पर निस्तारण हेतु लम्बित थे। एक वर्ष से कम, एक से तीन वर्ष तक एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरण क्रमश: 76, 115 एवं 112 थे। वन्य जीव अपराधों के प्रति आम नागरिकों में वन्य जीव अपराधों की तर्जना हेतु प्रकरणों के तुरन्त पंजीकरण, निस्तारण एवं शीघ्रातिशीघ्र शास्ति आरोपित किया जाना महत्वपूर्ण है। राज्य वन्य जीव अपराध ब्यूरो के गठन की असफलता ने गुप्तचर सूचना का संकलन एवं वन्य जीव अपराधों का त्वरित तथ्यान्वेषण प्रभावित किया फलत: वन्य जीव अपराध के अत्याधिक मामले बकाया पड़े हैं।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि रावजीअब्यूरो की स्थापना हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है।

2.1.7.3 वन भूमि का प्रबन्धन

पॉलिसी विद्यमान वनों की सभी प्रकार के मानवीय दबावों से सुरक्षा तथा कार्य योजनाओं के द्वारा स्थायी आधार पर प्रबन्धन की परिकल्पना करती है। निष्पादन लेखापरीक्षा में राज्य सरकार की ओर से वनभूमि की सुरक्षा में पाई गयी कमियां निम्न अनुच्छेदों में वर्णित की गई हैं:

वन क्षेत्र में कमी

- फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित इण्डिया स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान का अभिलिखित वन क्षेत्र 32,639 वर्ग किमी (विभाग के अभिलेखों के अनुसार मार्च 2011 में 32712.90 वर्ग किमी) है जोकि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.54 प्रतिशत है। इण्डिया स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट 2009 एवं

27. उवसं, वन्य जीव, चित्तौडगढ़, उवसं, झुन्झुनू ने सूचनायें प्रस्तुत नहीं की।

2011 के अनुसार वन आवरण[28] की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 1: वनावरण वन की स्थिति

(वर्ग किमी में)

के अनुसार स्थिति	वन आवरण	अत्यधिक सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन
स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट, 2011	16,087	72	4,448	11,567
स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट, 2009	16,036	72	4,450	11,514
शुद्ध वृद्धि(+) /कमी (-)	(+) 51	शून्य	(-) 2	(+) 53

लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि 2011 में कुल वनावरण में 51 वर्ग किमी की वृद्धि, मध्यम सघन वन में दो वर्ग किमी की कमी एवं खुले वन में 53 वर्ग किमी की वृद्धि रही। इस प्रकार राज्य सरकार मध्यम सघन वन के संरक्षण एवं सुरक्षा में सक्षम नहीं रही, जिससे इसमें कमी हुई।

- **वन भूमि के अमलदरामद का अभाव**

राज्य सरकार (प्रशासनिक सुधार विभाग) ने सभी श्रेणियों की वन भूमि को 31 दिसम्बर 2000 तक, राजस्व अभिलेखों में वन विभाग (विभाग) के नाम अभिलेखित किये जाने के लिए जिला स्तरीय समितियों (जिस्तस)[29] का गठन किया (अगस्त 1999)। जिस्तस की अवधि समय-समय[30] पर 31 दिसम्बर 2012 तक बढाई गई।

उवसं, मरू पौधारोपण एवं फार्म विकास, जालौर के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2011) एवं प्रमुवसं राजस्थान, जयपुर से अन्य 53 मंवअ/उवसं/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक (उमुवजीप्र) के संबंध में संग्रहित सूचनाओं (जून 2012) में पाया गया कि 5.97 लाख है0 (अप्रैल 1999) वन भूमि गैर अमलदरामद थी जिसमें से 13 वर्षों (1999-2012) में केवल 1.07 लाख है0 भूमि अमलदरामद हुई। यह विभाग की शिथिल कार्यशैली एवं कमजोर अनुश्रवण को इंगित करता था।

मार्च 2012 तक 4.90 लाख है0 गैर अमलदरामद भूमि के विश्लेषण में आगे पाया गया कि उक्त भूमि को, असर्वेक्षित (2.96 लाख है0); चारागाह/ इन्टीरियर लाईन/अन्य विभागीय (0.54 लाख है0); आवंटित/खातेदारी/

28. वृक्षआवरण का घनत्व 70 प्रतिशत एवं अधिक - अत्यधिक सघन वन भूमि; वृक्षआवरण का घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक एवं 70 प्रतिशत से कम - मध्यम सघन वन भूमि; वृक्षआवरण का घनत्व 10 प्रतिशत से अधिक एवं 40 प्रतिशत से कम - खुला वन क्षेत्र।
29. जिला कलेक्टर अध्यक्ष एवं उप वन संरक्षक सदस्य सचिव।
30. फरवरी 2001 में दिसम्बर 2002 तक, फरवरी 2003 में 31 दिसम्बर 2004 तक, जून 2005 में 31 दिसम्बर 2006 तक, मई 2007 में 31 दिसम्बर 2008 तक और नवम्बर 2011 में 31 दिसम्बर 2012 तक।

आबादी (0.45 लाख है0) और उक्त श्रेणियों से इतर (0.95 लाख है0) भूमि के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार, लम्बे समय से इस भूमि के अमलदरामद नहीं होने से न केवल वृक्षारोपण के उद्देश्य पर ही विपरीत प्रभाव पड़ा वरन् राशि ₹ 1971 करोड़[31] की 0.45 लाख हैक्टेयर भूमि, जिसे अन्य विभागों/खातेदारी/आबादी के रूप में आवंटित किया गया था, को गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु उपयोग लिया जा रहा था जबकि इस गैर अमलदरामद क्षेत्र को राज्य के समग्र वन क्षेत्र के भाग के रूप में दर्शाया जा रहा था।

राज्य सरकार ने उवसं, जालौर के जवाब को पृष्ठांकित (अप्रैल 2012) करते हुऐ सूचित किया कि 244.36 हेक्टेयर भूमि, न्यायालय के निर्णय तथा खनिज विभाग द्वारा आवंटन (214.36 हेक्टेयर) के कारण, अमलदरामद होना लम्बित थी तथा शेष भूमि के लिए जिला कलेक्टर जालौर द्वारा अमलदरामद करवाने हेतु प्रयास जारी हैं।

तथ्य यह रहा कि समग्र भूमि बहुत पहले, नवम्बर 1992 में वन भूमि के रूप में अधिसूचित की जा चुकी थी लेकिन मार्च 2012 तक अमलदरामद नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार, 5.97 लाख हेक्टेयर भूमि जो दिसम्बर 2000 में अमलदरामद की जानी थी, के विरूद्ध 12 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद केवल 1.07 लाख हेक्टेयर वन भूमि को ही अमलदरामद किया गया जोकि विभाग के सुस्त और ढुलमुल प्रयास को इंगित करता है, जिसकी परिणति वन भूमि पर अतिक्रमण, न्यायिक प्रकरणों की उत्पत्ति एवं राज्य के वन क्षेत्र में ह्रास के रूप में हुई।

सभी वन क्षेत्रों/मण्डलों के लिए कार्य योजनायें बनाये जाने का अभाव।

• वसंअ 1980 के प्रावधानों एवं रिट पिटीशन संख्या 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिसम्बर 1996 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी वन मण्डलों के लिये कार्य योजनायें (कायो) बनायी जानी थी तथा उन्हें भारत सरकार से अनुमोदित कराया जाना था। कार्य योजनायें दो वर्ष की अवधि में बनानी थीं एवं निर्धारित समय में कायो नहीं बनाये जाने के मामलों में नियमित कायो बनाये जाने एवं अनुमोदित कराये जाने तक वन क्षेत्रों में पेड़ों की आगामी कटाई स्थगित रखी जानी थी। सभी वानिकी कार्य अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार दृढ़ता से किये जाने थे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कायो तैयार किये जाने के लिये विस्तृत अनुदेश तथा दिशा निर्देश भी जारी किये गये।

31. गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य की वसूली हेतु पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा गैर वानिकी उद्देश्य के लिए फरवरी 2009 में निर्धारित न्यूनतम दर ₹ 4.38 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से गणना की गई है।

प्रमुवसं (कायो) एवं मंवअ, जोधपुर के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि 1997-98 के बाद 33 जिलों में से 22 जिलों[32] की कोई कार्ययोजना अनुमोदित नहीं थी। सभी सात सम्भागीय कार्यालयों में जून 2009 में कायो बनाने व प्रबोधन के लिये कार्य योजना अधिकारियों (कायोअ) की नियुक्ति के पश्चात् 11 जिलों[33] में उनकी कायो प्रस्तुत हुई। यह भी प्रेक्षित हुआ कि वित्त विभाग के अनुमोदन से 2012-13 तक 16 जिलों[34] में कायो बनाने का कार्य एक बाह्य संस्था को दिया (जनवरी 2012) गया, क्योंकि 2012-13 के बाद तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत बिना कार्य योजना के कोई राशि जारी नहीं की जानी थी। शेष छः जिलों की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि यहाँ तक कि इन जिलों में वानिकी कार्यक्रम के निष्पादन हेतु वार्षिक कार्य योजना भी तैयार नहीं की गई, जो वन संरक्षण अधिनियम एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन था। प्रमुवसं, कार्य योजना एवं वन बन्दोवस्त, राजस्थान, जयपुर ने स्वीकार किया (मई 2012) कि 22 जिलों में कार्य योजना बनाने का कार्य सम्भव नहीं हो सका, इसलिये 16 उवसं को कायोअ के रूप में घोषित (नवम्बर 2011) किया गया। विभाग ने सूचित (दिसम्बर 2012) किया कि नौ जिलों की कायो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और सात जिलों के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं। शेष 15 जिलों के प्रस्ताव तैयार करने एवं प्रस्तुत करने का कार्य प्रगति पर है।

वनभूमि पर गैर-कानूनी अतिक्रमण रोकने के लिये निष्क्रियता।

• राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(i), जिस के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक (सवसं) को दण्ड आरोपण कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया है, निर्दिष्ट करती है कि कोई व्यक्ति जो बिना कानूनी प्राधिकार के किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा बनाये रखता है, एक अतिचारी के रूप में माना जायेगा एवं किसी भी समय बेदखल किया जा सकेगा। वहीं धारा 91(2) ऐसे अतिचारी पर दण्ड[35] आरोपित करने के लिये निर्दिष्ट करती है।

---

32. 1997-98 (16), 1998-99(1), 2000-01(2), 2006-07(1) और 2008-09(2)।
33. बांसवाड़ा; चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ (2008-09); बीकानेर एवं उदयपुर (2009-10); जयपुर (2010-11); चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, राजसमन्द व श्रीगंगानगर (2011-12)।
34. बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दीं, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर और टोंक ।
35. इस प्रकार के प्रथम अतिचार के लिये, जिसमें भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है, प्रत्येक कृषि वर्ष की पूर्ण अथवा इसके किसी भाग की अवधि के लिये, दण्ड वार्षिक किराये या निर्धारण का 50 गुणा तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद के अतिचार के प्रकरण में वह एक अवधि के लिये जिसे तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है। नागरिक कैद के अपराध के लिये उत्तरदायी होगा तथा बढ़ी हुई अवधि के लिये दण्ड का भुगतान किया जाता है।

प्रमुवसं (हॉफ) के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार मार्च 2012 तक समस्त राजस्थान में 35,313.49 हैक्टेयर वन भूमि क्षेत्र पर अनाधिकृत कब्जा किया गया था, जबकि 31 मार्च 2009 को यह कब्जा 28,521.08 हैक्टेयर पर था। इसमें 33 मलिनावासों का 796.72 हैक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित था। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि मार्च 2012 तक विभाग में अनधिकृत कब्जे के 30,280 प्रकरण निपटान हेतु लम्बित थे। 17 मण्डलों की नमूना जाँच में पाया गया कि 13 मण्डलों में 5914 ऐसे प्रकरण (8,791.13 हैक्टेयर भूमि) निपटान हेतु विभागीय प्राधिकारियों के पास लम्बित थे जिनमें 5,188 प्रकरण तीन वर्ष से अधिक अवधि के थे *(परिशिष्ट 2.1)*।

कम दण्ड आरोपित किया जाना।

लेखापरीक्षा में यह भी प्रेक्षित हुआ कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्ड के रूप में वार्षिक किराये की 50 गुणा शास्ति आरोपित किये जाने के बजाय विभाग द्वारा अधिकांश अतिचारियों पर वार्षिक किराये की 10 गुणा शास्ति आरोपित की। इसने अतिचारियों को समुचित रूप से हतोत्साहित करने का कार्य नहीं किया। विभाग ने अतिचारियों को अन्तिम रूप से विस्थापित कराने के लिये कोई कदम नहीं उठाये। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि दण्ड में ₹ 2500 तक की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अवैध खनन से वनों की सुरक्षा न किया जाना।

• राजस्थान वन अधिनियम 1953 वन क्षेत्र में पत्थरों का खनन निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य वन नीति निर्दिष्ट करती है कि अवैध खनन को रोकने हेतु उपग्रह एवं चित्रण प्रणाली सम्मिलित करते हुये कठोर निगरानी व्यवस्था के प्रयास किये जाने चाहिये तथा खनन, वन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा, वन क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण की निगरानी व्यवस्था द्वारा, अवैध खनन को नियन्त्रित किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग ने वन क्षेत्र में अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिये उपग्रह चित्रण प्रणाली का उपयोग नहीं किया। आगे, 17 मण्डलों में से केवल पाँच मण्डलों[36] में 2009-12 के दौरान अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की गई तथा केवल दो मण्डलों[37] में वन, खनन व पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध खनन की जाँच किये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रमुवसं (वन सुरक्षा) से प्राप्त सूचना (सितम्बर 2012) के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में 3730, 3148 एवं 2458 अवैध खनन के प्रकरण क्रमश: 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दर्ज किये गये। 31 मार्च 2012 तक 575 प्रकरण निपटान हेतु बकाया थे। 17 वन मण्डलों की नमूना जाँच में अवैध खनन के 751, 635 एवं 494 प्रकरण क्रमश: 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दर्ज किये गये। विभाग में मार्च

36. उवसं, वजी कोटा; उवसं जयपुर (मध्य); उवसं श्रीगंगानगर; उवसं भीलवाड़ा एवं उवसं नागौर।

37. उवसं श्रीगंगानगर एवं उवसं नागौर।

2012 ***(परिशिष्ट 2.2)*** के अन्त तक 447 प्रकरण बकाया थे, जिनमें 204 प्रकरण तीन वर्षों से अधिक पुराने थे।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि खनन प्रभावित दस जिलों की पहचान कर ली गयी है एवं टास्क फोर्स की स्थापना की जा चुकी है। होमगार्ड की तैनाती के लिये ₹ 4.05 करोड़ की एक योजना वित्त विभाग के विचाराधीन है।

अवैध चराई से वनों की सुरक्षा न किया जाना।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26(1)(घ), वन क्षेत्र में पशुओं की चराई निषिद्ध करती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-16) का अनुच्छेद 5.1, चराई फीस बढ़ाने एवं वनों में अत्याधिक चराई को नियन्त्रित कर इसे विनियमित करने के उपायों का उल्लेख करता है।

विभाग ने 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान अवैध चराई के क्रमश: 4,452, 4,256 एवं 3,749 प्रकरण दर्ज किये। 17 मण्डलों की नमूना जॉच में 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमश: 1875, 1,884 एवं 1,975 प्रकरण दर्ज किये गये। मार्च 2012 तक विभाग में 230 प्रकरण लम्बित थे, जिनमें से 83 प्रकरण एक से तीन वर्ष पुराने एवं 115 प्रकरण तीन वर्षों से अधिक पुराने थे ***(परिशिष्ट 2.3)***। विभाग द्वारा प्रकरण लम्बित रखने के कोई कारण नहीं बताये गये। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा चराई को विनियमित करने के लिये प्रणाली एवं पशुओं के लिये स्टाल फीडिंग को बढ़ावा देने व चारागाह विकास की कोई योजना विकसित नहीं की गई।

राज्य में वन क्षेत्रों/ खण्डों को अधिसूचित करने में विफलता।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 4 एवं 29 के अन्तर्गत सभी वन खण्डों/भूमि को इनकी उचित सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु आरक्षित वन[38] (आव) संरक्षित वन[39] (संव) में अधिसूचित किया जाना चाहिये।

वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार 32,712.90 वर्ग किमी वन आच्छादित (मार्च 2011) क्षेत्र में से 12,410.69 वर्ग किमी (37.94 प्रतिशत) आव तथा 18,268.14 वर्ग किमी (55.84 प्रतिशत) संव है। शेष 2,034.07 वर्ग किमी (6.22 प्रतिशत) क्षेत्र (मार्च 2011 तक) अवर्गीकृत है। 17 मण्डलों की नमूना

38. आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित एवं पूर्ण सुरक्षित एक क्षेत्र या भूमि समूह है। आरक्षित वनों में सभी गतिविधियॉं निषिद्ध है, जब तक कि अनुमति नहीं दी जावे। इसमें दावों का निपटान भी सम्मिलित हो सकता है।
39. संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र या भूमि का समूह है, जिसमें सुरक्षा का सीमित दर्जा है। संरक्षित वनों में सभी गतिविधियों अनुमत्य हैं, जब तब कि निषिद्ध न की जावें। इसमें दावों के निपटान की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है।

जाँच में पाया गया कि 11,179.12 वर्ग किमी वन भूमि में से 609.32 वर्ग किमी (5.45 प्रतिशत) अवर्गीकृत थी।

इसके आगे, वसंअ, 1980 की धारा-5 के अन्तर्गत एवं पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा वन भूमि का गैर वन गतिविधियों हेतु उपयोग के लिये जारी स्वीकृतियों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, गैर वन गतिविधियों के बदले में प्राप्त भूमि के अमलदरामद किये जाने से छः माह के अन्दर, राज्य सरकार द्वारा आव/संव के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिये। चयनित मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 17 मण्डलों में से चार[40] में प्राप्त 629.33 हैक्टेयर गैर वन भूमि को विभाग द्वारा छः माह में आव/संव के रूप में अधिसूचित नहीं किया। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि वन क्षेत्र को अधिसूचित करना एक सतत् प्रक्रिया है एवं वर्ष 2012-13 के दौरान 5184.69 हैक्टेयर वन भूमि की अधिसूचना के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

अधिसूचित वन क्षेत्रों के चिन्हीकरण का अभाव।

• वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 35 के अनुसार राज्य सरकार को, किसी क्षेत्र के विधिक आधार पर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, वन उपवन के रूप में अधिसूचित करना होता है। वैधानिक प्रक्रिया में, वन विभाग के पक्ष में भूमि के अमलदरामद[41] के साथ साथ उसका राजस्व नक्शे में चिन्हीकरण भी शामिल है। पालिसी यह भी बताती है कि राज्य में सभी अधिसूचित क्षेत्रों की अमलदरामदगी और भूमि पर सीमा स्तम्भ लगाकर तथा नक्शों में उचित भू-संदर्भित डिजिटाइज्ड सीमा लाईनों से सीमांकन करना चाहियें। आगे, संरक्षित क्षेत्रों की प्रबन्ध योजनायें तथा कार्य योजनायें भी यही प्रस्तावित करती हैं। आवंटित भूमि के अमलदरामद के पश्चात इस भूमि का राजस्व नक्शों में चिन्हीकरण आवश्यक होता है ताकि वन विभाग को आवंटित भूमि, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा दूसरे व्यक्तियों को पुनः आवंटित नहीं की जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 नमूना जाँच मण्डलों मे से 14 मण्डलों में केवल 5,143.17 वर्ग किमी (कुल 8331.17 वर्ग किमी वन क्षेत्र का 61.73 प्रतिशत) क्षेत्र ही राजस्व नक्शे में चिन्हित था। शेष 3188 वर्ग किमी का अभी भी राजस्व नक्शे में चिन्हीकरण करना शेष था। तीन मण्डलों[42] में चिन्हीकरण की स्थिति मण्डल प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी। विभाग ने (दिसम्बर 2012) बताया कि राजस्व स्टाफ के असहयोग, सर्वेयर/अमीन की पदस्थापना का अभाव और विभाग में ग्राम नक्शों की अनुपलब्धता के कारण नक्शों में चिन्हीकरण नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। चिन्हीकरण के अभाव में संरक्षण प्रयास प्रभावित होंगे क्योंकि चिन्हीकरण

40. मवअ बांसवाड़ा, उवसं उदयपुर (दक्षिण), उवसं भीलवाड़ा एवं उवसं जयपुर (मध्य)।
41. अमलदरामद का आशय राजस्व अभिलेखों में भूमि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण होना, इस मामले में भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में होना।
42. रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर (दक्षिण)।

रहित भूमि के हस्तान्तरित किये जा सकने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सीमा स्तम्भ के द्वारा वन सीमा के सीमांकन का अभाव।

• वन भूमि का, आवास, चरागाह या कृषि उद्देश्यों के लिए अतिक्रमण से सुरक्षित करना, वन विभाग का एक मुख्य ध्येय है और इसे प्राप्ति का एक उपाय भूमि पर पक्की दीवार या स्तम्भों का निर्माण करना है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रमुवसं राजस्थान जयपुर द्वारा सितम्बर 2005 में सभी संरक्षित क्षेत्रों/वन भूमि के सीमांकन हेतु 2,83,943 स्तम्भों[43] के निर्माण की एक पंचवर्षीय योजना (2005-06 से 2009-10) राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि धन एवं संसाधनों के अभाव में मार्च 2012 तक केवल 69,682 स्तम्भ (25 प्रतिशत) ही लगाये जा सके जोकि दोषपूर्ण योजना को दर्शाता है। 17 नमूना जाँच मण्डलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मार्च 2012 तक 12 मण्डलों में 89,666 स्तम्भों में से 56,369 (63 प्रतिशत) स्तम्भ नहीं लगाये जा सके। दो मण्डलों[44] में संरक्षित क्षेत्रों में पक्की दीवार या तारबन्दी थी। तीन मण्डलों[45] द्वारा वांछित सूचना मांगी जाने पर भी (फरवरी से अप्रैल 2012 के दौरान) उपलब्ध नहीं कराई गयी।

मण्डल अधिकारियों ने स्वीकार किया (मार्च से मई 2012) कि सर्वेयर/अमीनों की पदस्थापना के अभाव में, बजट उपलब्ध न होने तथा ग्राम्य नक्शों के अभाव में स्तम्भ नहीं लगाये जा सके। विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2012) कि स्तम्भ, उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार लगाये गये हैं तथा कार्य प्रगति पर है।

वन नक्शों के डिजिटाईजेशन का अभाव

• नमूना जाँच किये गये 17 मण्डलों में से, केराउ भरतपुर और उदयपुर वन्य जीव मण्डल के चार वन्य जीव अभ्यारणों में नक्शों में सीमा रेखा के डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका था। छः वन मण्डलों[46] में डिजिटाईजेशन कार्य प्रगति पर था और चार मण्डलों[47] में यह प्रारम्भ नहीं हुआ था। पाँच मण्डलों[48] द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि डिजिटाईजेशन का कार्य स्टेट रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर (एसआरएसएसी) जोधपुर के माध्यम से किया जा रहा है तथा कार्य प्रगति पर है।

---

43. आवश्यकतानुसार स्तम्भ नहीं लगाये और क्षतिग्रस्त हो गये।
44. केवलादेव राउ भरतपुर और रामउ जैसलमेर।
45. जयपुर (उत्तर), उदयपुर (दक्षिण), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
46. बाघ परियोजना सरिस्का, जयपुर (मध्य), भीलवाड़ा, नागौर, झुन्झुनू और झालावाड़।
47. बांसवाड़ा, रामउ जैसलमेर, श्रीगंगानगर और वन्य जीव चित्तौडगढ़।
48. रणथम्भौर बाघ परियोजना, वन्य जीव कोटा, मवअ जोधपुर, जयपुर(उत्तर) और उदयपुर (दक्षिण)।

बिना अनुमोदन के वन भूमि का गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

• वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 में बताया गया है कि गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन करने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये।

17 मण्डलों की नमूना जाँच में पाया कि चार मण्डलों[49] में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग और रेलवे विभाग द्वारा 847.64 हैक्टेयर वन भूमि[50] का गैर वानिकी गतिविधियों में उपयोग किया गया। आगे यह भी पाया गया कि मवअ/उवस द्वारा जारी मांग ₹ 86.03 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.4)*** के विरूद्ध मार्च 2012 तक क्रियान्वयन विभागों द्वारा ₹ 2.84 करोड़ ही जमा कराये गये। सभी कार्य, वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ भारत सरकार से अनुमोदन की शर्तों का भी उल्लंघन करते हुए, बिना औपचारिक अनुमति के और एक प्रकरण(रेलवे) में तो बिना सैद्धान्तिक अनुमति के ही, पूर्ण किये गये।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। जबकि, वास्तविकता यह है कि वन भूमि बिना सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक अनुमति के प्रत्यावर्तित/उपयोग की गई, जोकि वन भूमि प्रत्यावर्तन की रोकथाम हेतु कमजोर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है।

2.1.7.4 राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण एवं जैविक चोरी की रोकथाम हेतु किये गये उपाय

'जैव विविधता अधिनियम, 2002', जैविक चोरी[51] को रोकने हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' के गठन हेतु निर्दिष्ट करता है। विभाग द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक चोरी को रोकने हेतु किये गये उपायों में पाई गई कमियाँ नीचे वर्णित की गई हैं:

राज्य जैव विविधता योजना एवं कार्य योजना का नहीं बनाया जाना।

• जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 सभी राज्य सरकारों को, जैव विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग और जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग संबंधी मामलों में परामर्श देने हेतु, राज्य जैव विविधता बोर्ड के गठन करने की शक्तियाँ प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 (नियम) अधिसूचित (मार्च 2010) किया गया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड (राराजैविबो) का गठन (सितम्बर 2010) किया गया।

---

49. मवअ: झालावाड़, जोधपुर, उवस: जयपुर (उत्तर) और भीलवाड़ा।
50. जस्वाअभिवि: 17 है0, सिंचाई:770 है0 और रेलवे 60.64 है0।
51. जीवनों, सूक्ष्म जीवों, पौधों एवं जानवरों (मानव सहित) और इससे सम्बन्धित पारम्परिक सांस्कृतिक ज्ञान का अवैधानिक विनियोज्य।

राराजैविबो को राज्य जैव विविधता नीति और कार्ययोजना के अद्यतन और उसके क्रियान्वयन के साथ-साथ जैविक स्त्रोतों/संसाधनों के डेटाबेस तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 26 माह पश्चात (नवम्बर 2012) भी राराजैविबो ने राज्य जैव विविधता नीति एवं कार्य योजना तैयार करने की पहल नहीं की। ऐसी योजना का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जो जैव विविधता संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का संरक्षण, दीर्घकालीन उपयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करे। कार्य योजना विकसित करने में विफलता ने इस प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाले।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि इस उद्देश्य हेतु एक कमेटी का गठन किया जा चुका है।

जैव विविधता धरोहर स्थलों का संरक्षण।

• राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 के नियम 22 के तहत राराजैविबोर्ड, स्थानीय निकायों की सलाह और अन्य मुख्य हिस्सेदारों की सलाह से महत्वपूर्ण इलाकों को जैव विविधता धरोहर स्थलों[52] के रूप में अधिसूचित करने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि यद्यपि, राराजैविबोर्ड द्वारा पॉच जैव विविधता धरोहर स्थलों[53] को चिन्हित (फरवरी 2012) एवं अनन्तिम रूप से चयनित किया गया, परन्तु राज्य सरकार द्वारा इन स्थलों को अधिसूचित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि उक्त नियम के तहत अधिसूचना से पूर्व स्थानीय निकायों और अन्य मुख्य हिस्सेदारों की सहमति आवश्यक है जिसके लिए बोर्ड की टिप्पणियां, स्थानीय निकायों को, उनकी सहमति हेतु अग्रेषित की जा चुकी हैं।

2.1.7.5 पारम्परिक पारिस्थितिक ज्ञान एवं जैव विविधता की असुरक्षा

जैव विविधता अधिनियिम 2002 का उद्देश्य, जैविक संसाधानों एवं संबंधित ज्ञान के संरक्षण के साथ-साथ, इनको स्थाई एवं वैधानिक तरीके से प्राप्त करना है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 भी दर्शाती है कि पारम्परिक कृषि प्रणाली, फसलों की किस्में, पशुओं की प्रजाति एवं जीविका प्रणाली कृषि-पशुचारी संसाधानों के प्रबन्धन पर आधारित हैं एवं राज्य के स्थानीय समुदायों की तकनीकों, पारम्परिक प्रकृति संरक्षण प्रणालियों और उपायों के संरक्षण की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में निम्न प्रेक्षण पाये गये:-

---

52. ऐसे सुपरिभाषित क्षेत्र जोकि अद्वितीय, दुर्वल पारिस्थितिकीय तन्त्र, स्थलीय समुद्रीय, तटवर्तीय, और दीपीय जैव विविधता से बाहुल्य क्षेत्र, पर्याप्त सांस्कृतिक, नीतिपरक या सौन्दर्य मूल्यों से भरपूर हों; जैव विविधता धरोहर स्थल कहलाते हैं।
53. (i) आकल वुड फोसिल पार्क (ii) केवडा की नाल, उदयपुर (iii) रामकुण्डा, उदयपुर (iv) नाग पहाड, अजमेर (v) छापोली मन्शामाता, झुन्झुनू।

पारम्परिक फसलों की किस्मों की खेती हेतु प्रोत्साहन न किया जाना।

• राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति में लेख है कि "पारम्परिक फसल की किस्मों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि उनका अनुकूलन समझा जा सके।" इसके अतिरिक्त इसमें कार्बनिक खेती, कृषि तकनीकियों एवं इनके उपयोगकर्ताओं को प्रमाणीकरण योजना एवं बाजार श्रृंखला के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करने का भी उल्लेख है। वन विभाग द्वारा इस तरह की कोई योजना लागू नहीं की जा रही है। लेखापरीक्षा द्वारा कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जाँच में पाया गया कि उक्त दोनों विभागों द्वारा पारम्परिक फसलों की किस्मों पर अनुसंधान, जीन बैंक बनाने, पारम्परिक तकनीकियों से बीज बैंक का प्रभावी उपयोग और चारा बैंक, उद्यानिकी, कृषि एवं पशुपालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गई।

पारम्परिक ज्ञान के प्रलेखीकरण का अभाव।

• राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 के अनुसार राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड को, जैव संसाधनों के सतत् उपयोग के प्रभावी प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु डाटाबेस तैयार करने, जैविक संसाधनों की सूचना एवं अभिलेख प्रणाली तैयार करने और जैव विविधता रजिस्टरों से संबंधित पारम्परिक ज्ञान और इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस तैयार करने के लिये, कदम उठाने थे। साथ ही राराजैविबोर्ड को, जैव विविधता संसाधनों एवं संबंधित ज्ञान के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों सहित अन्य अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के, युक्तिपूर्ण तरीके तय करने थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि कृषि विभाग द्वारा पारम्परिक ज्ञान के अभिलेखन संबंधी कोई योजना/कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया।

अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर द्वारा (अप्रैल 2012) अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा जैव विविधता कार्यक्रम के तहत न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा न ही कोई योजना क्रियान्वित की गई।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि जैव विविधता का पारम्परिक ज्ञान अभिलेखन, जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के माध्यम से, लोक जैव विविधता पंजिका के रूप में किया जाना है। जैव विविधता प्रबन्ध कमेटियों का गठन प्रगति में है।

2.1.7.6 मानव संसाधनों का प्रबन्धन

राष्ट्रीय वन्य जीव कार्ययोजना (2002-16) के अनुसार ''चुनौतीपूर्ण वन्य जीव संरक्षण परिदृश्य में आज प्रतिबद्ध वन्य जीव प्रबन्धकों की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक क्षमता और सामाजिक चेतना के साथ-साथ संचार कौशल से युक्त हों। जो बड़ी राशि के गैर कानूनी व्यापार में लिप्त नियोजित अपराधिक तत्वों को खोजने की तीक्ष्ण बुद्धि एवं प्रवर्तन की क्षमता युक्त हों। अग्रिम पंक्ति के स्टॉफ में भी समान गुण होने चाहिये।''

संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में मानव संसाधन मामलों से संबंधित कमियाँ नीचे वर्णित हैं:

- ***वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त स्टॉफ***

वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा शिकार, अतिक्रमण, अवैध खनन, चराई, पेडों की कटाई, वन उपज की चोरी तथा वन्य जीव अपराधों आदि की रोकथाम के लिये अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति ***परिशिष्ट 2.5*** में दी गई है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011 में वन रक्षकों की भर्ती के उपरान्त भी 13 प्रतिशत पद रिक्त थे। यद्यपि, रेन्जरों की रिक्तियां वर्ष 2009-10 में 7 प्रतिशत एवं वर्ष 2011-12 में 30 प्रतिशत के मध्य रही। प्रथम स्तरीय पर्यवेक्षक स्टॉफ रेन्जरों में कमी के कारण जैव विविधता के समयोचित विकास, निष्पादन एवं प्रबोधन कार्य प्रभावित हुये।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि वन्य जीव प्रभाग का पुनर्गठन किया जा चुका है तथा स्टॉफ को वन्य जीवों के प्राकृतिक वास के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियोजित किया जा चुका है।

- ***मण्डलों में तकनीकी स्टॉफ की स्थिति***

वर्ष 2009-12 के दौरान तकनीकी स्टॉफ के स्वीकृत एवं खाली पड़े पदों का विवरण नीचे तालिका में है:

तालिका 2: तकनीकी स्टॉफ की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कमी का प्रतिशत
2009-10	451	68	15
2010-11	511	66	13
2011-12	497	82	16

वर्ष 2009-12 के दौरान राज्य में तकनीकी स्टॉफ[54] की कमी 13 से 16 प्रतिशत के मध्य थी जो वन विभाग की गतिविधियों यथा अमलदरामद, सर्वे, डिमार्केशन और डिजिटाईजेशन आदि को प्राथमिकता न देना इंगित करता है।

54. सर्वेयर, अमीन, ड्राफ्ट्समैन एवं ट्रेसर।

- *विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन न किया जाना*

वित्त मंत्री, भारत सरकार ने 2008 के अपने बजट भाषण में 13 बाघ रिजर्वों में विशेष बाघ सुरक्षा बल (विबासुब) के गठन हेतु ₹ 50 करोड के अनुदान की घोषणा की। तदनुसार भारत सरकार ने रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए, विबासुबल के गठन, हथियारबंधी एवं नियोजन हेतु राशि ₹ 3.72 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2009) किये तथा राशि ₹ 93 लाख (25 प्रतिशत) जारी की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने विबासुब के गठन की स्वीकृति दी (जून 2010) तथा एक वर्ष पश्चात् जून 2011 में बाघों की सुरक्षा हेतु विबासुब के लिये 1456 पदों[55] को भरने हेतु पुलिस विभाग से निवेदन किया। राज्य सरकार द्वारा विबासुब का गठन मार्च 2012 तक नहीं किया गया और रणथम्भौर में बाघों की सुरक्षा हेतु अस्थायी रूप से गृह रक्षकों को नियोजित कर उनके वेतन भुगतान पर वर्ष 2010-11 तक राशि ₹ 23.44 लाख खर्च की गई। विभाग के पास राशि ₹ 69.56 लाख अनुपयोगी पड़ी रही तथा विबासुब के गठन नहीं करने से भारत सरकार द्वारा शेष राशि ₹ 2.79 करोड़ भी जारी नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने बाघ परियोजना सरिस्का हेतु विबासुब के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, अत: भारत सरकार से विबासुब के गठन हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

विभाग ने बताया (मार्च/दिसम्बर 2012) कि पुलिस विभाग के माध्यम से स्टॉफ की भर्ती प्रक्रियाधीन है एवं विबासुब का गठन कर लिया जायेगा। तथापि, राज्य सरकार ने विबासुब के गठन के देरी के कारणों का खुलासा नहीं किया। विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2012) कि बाघ परियोजना सरिस्का हेतु विबासुब के गठन हेतु प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसके लिये सहमत हो चुका है।

2.1.7.7 वित्तीय प्रबन्धन

वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा एवं संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोजना में, यथा परिभ्रांषित वनों के कार्यान्वयन की योजना, जैव विविधता संरक्षण, केराउ भरतपुर का विकास, वन क्षेत्रों का संधारण एवं नहर किनारे वृक्षरोपण जैसी योजनाओं हेतु निधियाँ आवंटित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना (केप्रयो) के तहत सहायता राशि, मुख्य रूप से वन्य जीव अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के विकास एवं संधारण, बाघ परियोजनाओं हेतु गांवों का विस्थापन, एकीकृत वन सुरक्षा योजना (आईएफपीएस) एवं नदी घाटी योजना

55. पुलिस उप अधीक्षक: 13, सब इन्सपेक्टर : 39, हैड कॉस्टेबल: 234 एवं कॉस्टेबल:1170

के लिये जारी की जाती हैं।

लेखापरीक्षा में निधियों के प्रबन्धन से संबंधित पायी गयी कमियां निम्न अनुच्छेदों में वर्णित है:

बजट में बचत का लगातार होना।

• वर्ष 2009-12 के दौरान केप्रयो, राज्य आयोजना, एवं आयोजना भिन्न में वन विभाग को आवंटित बजट एवं उसके विरूद्ध व्यय की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका 3: बजट आवंटन की स्थिति

(₹ करोड में)

वर्ष	केप्रयो के तहत केन्द्रीय सहायता			राज्य आयोजना			आयोजना भिन्न			योग		
	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत
2009-10	166.58	87.21	79.37	69.18	59.39	9.79	340.54	329.60	10.94	576.30	476.20	100.10
2010-11	135.29	94.10	41.19	77.45	46.17	31.28	339.64	332.54	7.10	552.38	472.81	79.57
2011-12	89.64	65.65	23.99	143.15	98.39	44.76	391.54	365.72	25.82	624.33	529.76	94.57
योग	**391.51**	**246.96**	**144.55**	**289.78**	**203.95**	**85.83**	**1071.72**	**1027.86**	**43.86**	**1753.01**	**1478.77**	**274.24**

स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

तालिका से स्पष्ट है कि सभी तीनों वर्षों में आवंटित बजट में बचत रही। विभाग द्वारा केप्रयो में बचत का कारण रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना में गांवों के पुनर्वास की धीमी गति होना बताया गया (दिसम्बर 2012)। इसके अतिरिक्त राज्य आयोजना में मुख्य बचत, केएनपी भरतपुर में कोर्ट केस (2009-10) के कारण गोवर्धन ड्रेन का कार्य नहीं होने, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना एवं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (द्वितीय-II) और तेरहवें वित्त आयोग के वन संबंधी कार्य के धीमे क्रियान्वयन के कारण रही। उक्त बचत का लगातार रहना दोषपूर्ण बजट योजना को दर्शाता है।

स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किश्त की मांग न किया जाना।

• नमूना जाँच किये गये चार वन्य जीव मण्डलों[56] द्वारा प्रथम किश्त की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग करने एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा द्वितीय किश्त की मांग नहीं की गई परिणामत: सहायता राशि ₹ 1.49 करोड़ से वंचित रहना पड़ा। विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि प्रथम किश्त देरी से प्राप्त होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका और भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सके। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त प्रतिवर्ष जून और सितम्बर के बीच जारी की गई और विभाग 60 प्रतिशत सहायता राशि का भी उपयोग नहीं कर सका, फलत:

56. रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर, केराउ भरतपुर, वन्य जीव कोटा और रामउ जैसलमेर।

राज्य ₹ 1.49 करोड़ के केन्द्रीय अनुदान से वंचित रहा।

भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किश्त का राज्य सरकार द्वारा उपयोग/ जारी नहीं किया जाना।

• तीन वन्य जीव मण्डलों[57] के मामलों में भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त ₹ 1.38 करोड़, 2010-11 (₹ 49.91 लाख) एवं 2011-12 (₹ 88.44 लाख) राज्य सरकार को मार्च माह में जारी की गई। राज्य सरकार ने मार्च 2012 में केवल दो मण्डलों को ₹ 21.83 लाख जारी किये। इस तरह कुल ₹ 1.38 करोड़ उपयोग नहीं कर सकने और भारत सरकार द्वारा उक्त राशि का समायोजन आगामी वर्ष की सहायता में करने से राज्य सरकार इस सीमा तक केन्द्रीय सहायता से वंचित रही। विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि राज्य सरकार को यह राशि संबंधित वर्ष में 31 मार्च को जारी की गई थी जिसका उपयोग मण्डलों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया जा सका।

पारिस्थितिक विकास अधिभार का उपयोग न करना।

• राज्य सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) राजस्थान नियम 1977 के विद्यमान नियम 23 के उपनियम (3) में संशोधन (मार्च 1998) कर वन्य जीव अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क, मय पारिस्थितिक विकास अधिभार के, निर्धारित किया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा सरचार्ज के रूप में एकत्रित राशि के उपयोग हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारणों के पारिस्थितिक विकास कार्यों हेतु परियोजना प्रस्तुत करने के सभी वन्य जीव मण्डलों को निर्देश (अप्रैल व जून 2007) जारी किये गये।

आठ वन्य जीव मण्डलों में से सात वन्य जीव मण्डलों[58] के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-12 के दौरान ₹ 16.76 करोड़ संग्रहित किये गये। तथापि, किसी भी वन्य जीव मण्डल द्वारा पारिस्थितिक विकास गतिविधियों के निष्पादन हेतु अनुमोदन/स्वीकृति के लिये कोई योजना प्रस्तावित/प्रस्तुत नहीं की गई जिससे अधिभार संग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य विफल रहा। विभाग द्वारा सूचित किया गया (दिसम्बर 2012) कि निर्णयानुसार रणथम्भौर एवं सरिस्का में पारिस्थितिक विकास गतिविधियों के लिए निधियों का उपयोग किया जा रहा है तथा केराउ के लिए निर्णय विचाराधीन है।

2.1.8 निष्कर्ष

वन एवं जैव विविधता के संरक्षण एवं राज्य के वन तथा वन्यजीव संसाधनों के सतत् प्रबन्धन हेतु राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति एवं राजस्थान राज्य वन नीति वर्ष 2010 में जाकर बनाई गई।

राज्य सरकार संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करने में सक्षम नहीं रही। सरकार द्वारा उठाये गये अपर्याप्त उपायों के कारण मौजूदा संरक्षित क्षेत्र

57. वजी कोटा, वजी चित्तौड़गढ़ एवं बाघ परियोजना सरिस्का।

58. वन मण्डल जयपुर (मध्य) द्वारा कोई प्रवेश शुल्क वसूल नहीं किया गया।

नेटवर्क को लगातार अवनति एवं खतरों का सामना करना पड़ रहा है। क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट इसे स्थापित करने के मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे से जोडने हेतु कोरिडोर्स का निर्माण नहीं किया गया। विस्थापन हेतु अपर्याप्त उपायों के कारण, लोगों का संरक्षित क्षेत्रों में सतत् निवास, जैव विविधता के लिये मुख्य खतरा है। बड़े पैमाने एवं महत्वपूर्ण संख्या में वन्य जीवों, मय महत्वपूर्ण प्रजातियों और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर संकटापन्न और विलुप्त प्राय: प्रजातियों के, प्राकृतिक वास खण्डित हो रहे हैं। अतिक्रमण, अवैध खनन को रोकने और इन अपराधों की सजा की राशि में वृद्धि हेतु प्रभावी कदमों को निर्णीत नहीं किया गया। राजस्व नक्शे पर वन भूमि के सीमांकन, बाउन्ड्री पिलर्स और वन नक्शों के डिजिटाईजेशन का कार्य नहीं किया गया। जैविक संसाधनों एवं पारम्परिक ज्ञान के अभिलेख हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने शेष थे।

2.1.9 अनुशंषाऐं

- राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर अवैध खनन/अतिक्रमण को रोकने हेतु प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये और वन भूमि के प्रत्यावर्तन के मामलों पर निगरानी हेतु आन्तरिक नियंत्रण को मजबूत किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव अपराधों के प्रभावी रोकथाम और सजा हेतु राज्य वन्य जीव ब्यूरो की यथाशीघ्र स्थापना की जानी चाहिये।

- राज्य में विलुप्त प्राय: संकटापन्न प्रजातियों जैसे गोडावन, घडियाल, भालू आदि के लिए, इनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिये कार्यक्रम बनाने की पहल की जानी चाहिये ताकि इन प्रजातियों का राजस्थान में अस्तित्व समाप्त नहीं हो।

- राज्य सरकार को जैविक संसाधनों एवं पारम्परिक ज्ञान का डाटाबेस तैयार करना चाहिये तथा जैविक संसाधनों एवं संबंधित ज्ञान के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों सहित अन्य अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिये।

- राज्य सरकार को पारिस्थितिक विकास अधिभार के रूप में प्राप्तियों का उपयोग राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारणों में पारिस्थितिक विकास गतिविधियों पर करना चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

2.2 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना

कार्यकारी सारांश

कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सीई एण्ड आईसीटी) एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जिसे भारत सरकार (भास), मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यालयों विशेषतया माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग प्रदान करने के लिए घोषित (दिसम्बर 2004) किया गया। आधारभूत ढ़ांचा और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर माध्यमिक शिक्षा विभाग (विभाग) द्वारा तथा हार्डवेयर/उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग एवं संधारण निविदादाता फर्मों द्वारा किया जाना था।

योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार को भेजे गए कम्प्यूटर शिक्षा योजना में विद्यालयों का चयन, बिना आधारभूत ढ़ांचा सुविधाएँ सुनिश्चित किए, किया गया। पूर्ववर्ती योजनान्तर्गत आवृत्त विद्यालयों के दोहराव ने कम्प्यूटर साक्षरता के विस्तार के आयाम को सीमित किया।

इन्टरनेट संयोजन का प्रावधान योजना के चरण-I के अनुबन्ध में नहीं लिया गया, यद्यपि यह योजना का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग था। विभाग द्वारा दोनों चरणों में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विलम्ब से प्रदान किया गया। चरण-I के लिए सॉफ्टवेयर की विलम्बित आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति (एलडी) ₹ 0.80 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

चरण-II की निविदा को अंतिम रूप देने में 16 माह का विलम्ब किया गया। संशोधित बजट में जारी राशियों का वर्ष 2008-09 (₹ 16.77 करोड़), 2009-10 (₹ 5.22 करोड़) एवं वर्ष 2011-12 (₹ 39.75 करोड़) उपयोग नहीं किया जा सका।

शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों को, अनुबंध अनुसार (न्यूनतम तीन माह प्रतिवर्ष) वांछित प्रशिक्षण नहीं देने से क्षमता निर्माण की अनदेखी हूई। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर सहायता से शिक्षण की उचित सामग्री एवं माड्यूल विकास में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बद्धता नहीं थी।

अनुश्रवण लगभग शून्य रहा क्योंकि फर्मों द्वारा चरण-II में उपनिदेशकों को 'प्रबन्धकीय सूचना व्यवस्था' अन्तरसक्रिय सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना था जो नहीं कराया गया। 'परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समूह' को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजे गए। राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति स्थापित नहीं की गयी, जयपुर मण्डल में उपनिदेशक स्तरीय अनुश्रवण समिति स्थापित नहीं की गयी।

2.2.1 प्रस्तावना

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (योजना) स्कूलों, विशेषतया माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदान करने हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित (दिसम्बर 2004) एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। राजस्थान में योजना का क्रियान्वयन निर्माण-स्वामित्व-परिचालन- हस्तान्तरण (बूट) मॉडल पर 2,500 (चरण-I मई 2008 से जून 2013) एवं 2000 (चरण-II जून 2010 से फरवरी 2014) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया गया। योजना में आधारभूत सुविधा (सुरक्षित, हवादार व विद्युतीकृत कक्ष) एवं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराना था एवं हार्डवेयर/उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, संचालन व अनुबन्ध की अवधि तक रखरखाव, निविदादाता फर्मों द्वारा किया जाना था। योजना के दोनों चरणों के लिए, प्रत्येक विद्यालय में दस कम्प्यूटरों के साथ प्रोजेक्टर, जेनरेटर एवं इंटरनेट का प्रावधान किया गया था।

2.2.2 योजना के उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थकारी माहौल स्थापित करना। इस तरह के समर्थकारी माहौल के महत्वपूर्ण कारकों में सहाय उपकरणों की व्यापक उपलब्धता, इंटरनेट संयोजन और आईसीटी साक्षरता देना शामिल है।
- निजी क्षेत्र तथा राज्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (साईटस) दोनों के द्वारा ऑनलाइन एवं सहाय उपकरणों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विद्यमान पाठ्यक्रम को आईसीटी उपकरणों के नियोजन से शिक्षण व ज्ञानार्जन हेतु समृद्ध करना।
- छात्रों को डिजीटल संसार के लिए वांछित कौशल प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना जो कि उच्च अध्ययन एवं लाभकारी रोजगार के लिए आवश्यक है।
- आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विशेष जरूरत वाले बच्चों को प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करना।
- स्वाध्याय के विकास से विवेचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना। इससे कक्षा का वातावरण शिक्षक केन्द्रित से छात्र केन्द्रित में बदल जायेगा।

- दूरस्थ शिक्षा में दृश्यश्रव्य माध्यम और उपग्रह आधारित उपकरणों सहित, आईसीटी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना।

2.2.3 संगठनात्मक ढ़ांचा

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नप्रकार है:

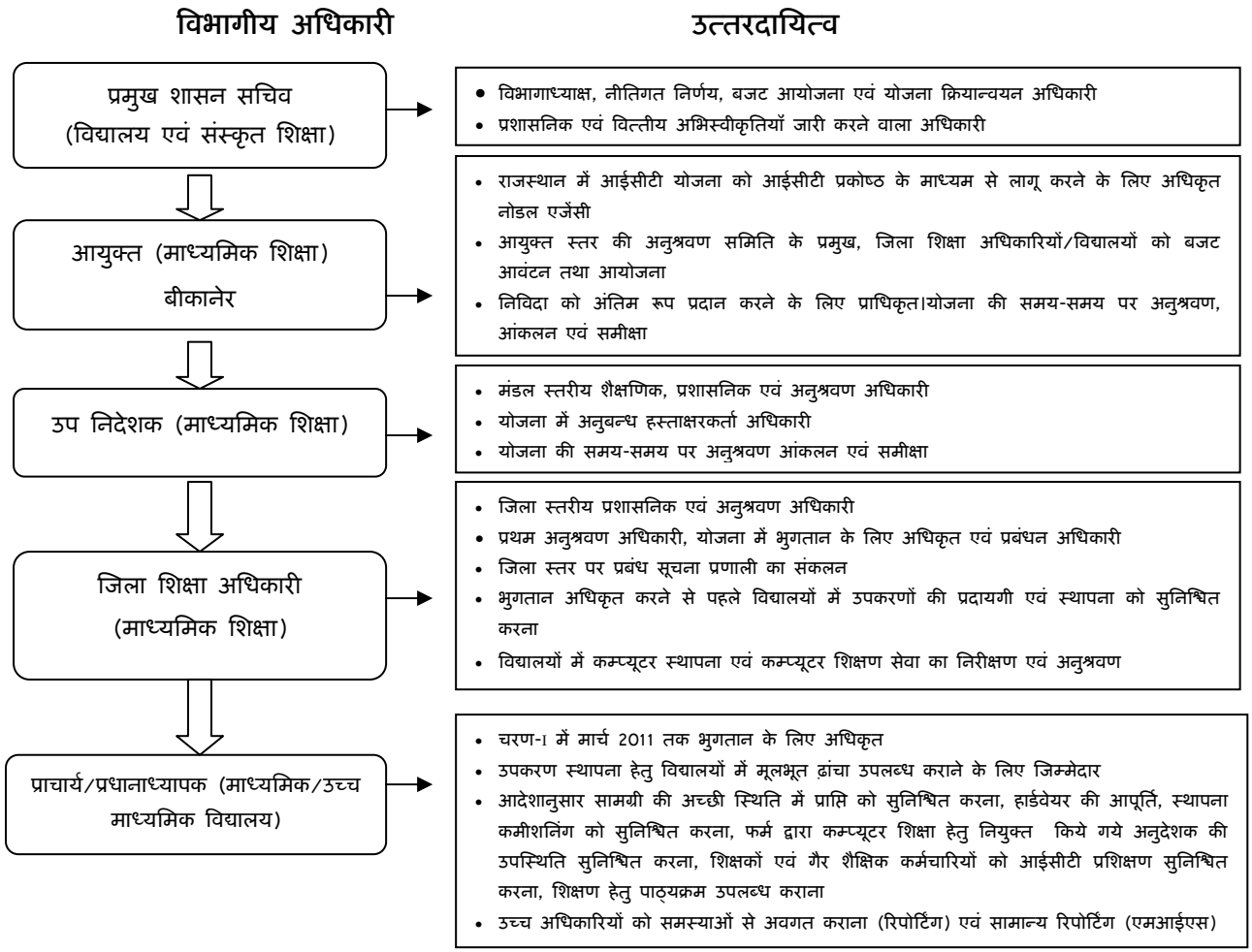

2.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य इनका आंकलन करना था:

- आयोजना प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता।
- बजट प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता।
- क्रियान्वयन प्रक्रिया की मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावशीलता (जन सहभागिता मॉडल के परिप्रेक्ष्य में)।
- कक्षा को शिक्षक केन्द्रित से विद्यार्थी केन्द्रित बनाने में योजना का प्रभाव एवं वांछित लक्ष्य की जमीनी स्तर पर पूर्ति।

- आन्तरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण प्रक्रिया की प्रभावशीलता।

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न मापदण्डों से व्युत्पन्न किया गया:

- सीई एण्ड़ आईसीटी योजना के दिशानिर्देश तथा प्रोजेक्ट प्रबन्धन एवं मूल्यांकन समूह (पीएमईजी) बैठकों के कार्यवृतांत (मिनट्स);
- राज्य सरकार की कम्प्यूटर शिक्षा योजना (सीईपी);
- सरकार एवं फर्मों के बीच सम्पादित अनुबन्ध;
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं निर्देश एवं
- वित्तीय एवं लेखांकन नियम (बजट-व्यय)।

2.2.6 लेखापरीक्षा व्याप्ति

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 के दौरान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं 8 जिलों[59] के 12 जिला शिक्षा अधिकारियों[60] (जिशिअ) तथा 100 विद्यालयों के अभिलेखों की, वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि की जॉच की गयी। चयन व्यवस्थित सामान्य नमूना पद्धति से किया गया जो कि अधिकतम व्यय तथा योजना में शामिल विद्यालयों की संख्या पर आधारित था। 100 विद्यालयों का चयन, विद्यार्थियों की संख्या तथा दोनों चरणों को 60:40 के अनुपात में, यथा चरण-I से 60 विद्यालय एवं चरण-II से 40 विद्यालय किया गया। प्रारम्भिक वार्तालाप बैठक (मई 2012) प्रमुख शासन सचिव, विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों पर विचार-विमर्श करने हेतु आयोजित की गयी। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर विचार-विमर्श 26 नवम्बर 2012 को शासन सचिव, विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान के साथ आयोजित अंतिम वार्तालाप बैठक में किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गयी है:

---

59. भरतपुर (भरतपुर मण्डल), भीलवाड़ा (अजमेर मण्डल), चित्तौड़गढ़ (उदयपुर मण्डल), जयपुर एवं सीकर (जयपुर मण्डल), झुन्झुनू (चूरू मण्डल), झालावाड़ (कोटा मण्डल) एवं जोधपुर (जोधपुर मण्डल)।
60 जिशिअ भरतपुर (I एवं II), भीलवाड़ा (I एवं II), चित्तौड़गढ़, जयपुर (I एवं II), झालावाड़, जोधपुर, झुन्झुनू एवं सीकर (I एवं II)।

2.2.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

राज्य में योजना के क्रियान्वयन की चरणबद्व स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 1 : योजना की चरण I एवं II की स्थिति

चयनित विद्यालयों की कुल संख्या		विद्यालयों की संख्या जिनमें कम्प्यूटर प्रयोगशाला		विद्यालयों की संख्या जिनमें इंटरनेट संयोजन	
		संस्थापित थी	संस्थापित नहीं थी	दिया गया	नहीं दिया गया
चरण-I	2,500	2,466	34	1,046	1131 (289 **अनुपलब्ध**)
चरण-II	2,000	1,934	66	820	975 (139 **अनुपलब्ध**)

स्त्रोतः उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

2.2.7.1 आयोजना

विद्यालयों का तदर्थ चयन।

योजना के दिशा निर्देशों[61] के अनुसार, जो राज्य सरकारें, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने की इच्छुक हों, उन्हें कम्प्यूटर शिक्षा योजना (सीईपी), भारत सरकार को प्रस्तुत करनी थी। सीईपी में अन्य बातों के अलावा राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों की संख्या जिनमें पहले से कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, विद्यालयों की संख्या जो कि योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित हैं, सम्भावित लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, राज्य सरकार द्वारा बजट में राज्यांश राशि का प्रावधान, खरीद के लिए विक्रेताओं का चयन, प्रशिक्षण का प्रावधान, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि का उल्लेख वांछित था।

राजस्थान राज्य का सीईपी (चरण-I) 2,500 विद्यालयों के लिए पीएमईजी द्वारा स्वीकृत (अगस्त 2007) किया गया एवं मई 2008 (जयपुर मण्डल) एवं जून 2008 (अजमेर, कोटा, चूरू, उदयपुर एवं जोधपुर मण्डल) में मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड तथा मैसर्स एडुकॉम्प सॉल्यूसंस लिमिटेड (भरतपुर मण्डल) से अनुबन्ध किया गया जिसकी अवधि 2008-09 से 2011-12 थी जिसे बढ़ाकर जून 2013 तक किया गया ।

पीएमईजी द्वारा योजना के चरण-II के लिए 2,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गयी (नवम्बर 2008)। चरण-II के अनुबन्ध (जून 2010) दो फर्मों[62] के साथ मण्डलवार, बूट मॉडल पर सम्पादित किये गये जिसकी अवधि जून 2010 से फरवरी 2014 तक थी।

---

61. क्रियान्वयन प्रक्रिया।
62. मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड अजमेर, भरतपुर, चूरू, जयपुर एवं उदयपुर मण्डल में तथा मैसर्स पीयरसन एजूकेशन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड कोटा एवं जोधपुर मण्डल में।

यह पाया गया था कि उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा अगस्त-2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को विद्युत की उपलब्धता, मूलभूत सुविधा एवं विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, 914 (36.56 प्रतिशत) विद्यालयों के परिवर्तन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई (जुलाई-2012)।

आगे, समीक्षा में यह भी पाया गया कि 54 ऐसे विद्यालयों[63] में कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गयी (सितम्बर 2008 से सितम्बर 2011 के दौरान)। जिनमें विद्युत संयोजन (जुलाई 2012) नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि कुछ विद्यालयों में विद्युत संयोजन स्थापित किये जा चुके हैं एवं कुछ में कार्य प्रगति पर है।

पूर्व में अन्य योजना में शामिल विद्यालयों का चयन किया जाना।

- उप निदेशकों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि चरण-*I* में 819 विद्यालयों में से 428[64] ऐसे विद्यालयों का चयन इस योजना में किया गया जो कि एक अलग योजना[65](ईसीआईएल योजना) में चयनित थे, जिसका अनुबन्ध (अप्रैल 2003) मैसर्स इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड़ (ईसीआईएल) के साथ जून 2008 (अवधि बढ़ाकर जून 2009) तक के लिये किया गया था।

- उपकरण की आपूर्ति के पश्चात राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ (हनुमानगढ़), जिसका चयन चरण-I में किया जा चुका था, के स्थान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय छानी-बडी में कम्प्यूटर प्रयोगशाला (जुलाई 2011), बिना भारत सरकार की स्वीकृति के स्थापित की गयी एवं इस विद्यालय में यह योजना एक वर्ष बाद ही संचालित की जा सकी।

- इसी प्रकार राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, राजमहल, जोधपुर का चयन चरण-II के लिए कर लिया गया जबकि इस विद्यालय में एक अन्य योजना 'दस बालिका विद्यालयों में आधारभूत ढ़ांचा निर्माण योजना' (2007-2010) पहले से संचालित थी। यद्यपि, जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर द्वारा यह तथ्य अक्टूबर 2009 में उप निदेशक जोधपुर के ध्यान में लाया जा चुका था लेकिन इस विद्यालय को प्रतिस्थापित नहीं किया गया।.

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि ईसीआईएल योजना में एक वर्ष की वृद्धि (जून-2009 तक) के कारण दोहराव हुआ। यह भी बताया कि

---

63. एक विद्यालय (राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रूण्डलाव (झालावाड़) चयनित 100 विद्यालयों में से है।
64. अजमेरः 44, बांसवाड़ाः 49, दौसाः 25, झुन्झुनूः 88, जोधपुरः 58, कोटाः 46, राजसमन्दः 10, सीकर-I: 17, सीकर- II : 28, उदयपुर-I:25 एवं उदयपुर- II: 38
65. 14 जिलों में 'एजुकेशन डिलीवरी कान्ट्रेक्ट' वर्ष 2003 से 2008 तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु।

ईसीआईएल योजना का संचालन भुगतान आधारित था जबकि सीई एण्ड आईसीटी योजना निशुल्क थी। राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय छानी-बडी में प्रयोगशाला देरी से स्थापित की गयी क्योंकि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ (हनुमानगढ़) का चयन दोनों चरणों में हो गया था। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय राजमहल (जोधपुर) के बारे में बताया गया कि अन्य विद्यालय में आईसीटी योजना स्थानान्तरित नहीं होने के कारण राजमहल (जोधपुर) में चालू रही।

तथ्य यह रहा कि एक वर्ष के लिए योजनाओं का दोहराव रहा एवं पूर्व में चल रही योजना में शामिल विद्यालयों का चयन करने से अन्य विद्यालयों के छात्रों को इस योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा ।

चरण-I में इंटरनेट का प्रावधान नहीं करना।

• लेखापरीक्षा में पाया गया कि चरण-I के अनुबन्धों (मई-जून 2008) में इंटरनेट संयोजन का प्रावधान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ऑन लाइन गुणवत्ता सामग्री, उपकरणों की व्यापक उपलब्धता तथा इंटरनेट संयोजन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। चरण-I के 22 माह पश्चात् (मार्च 2010) विभाग ने इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराना निश्चित किया। तथापि, 12 जिला शिक्षा अधिकारियों के अधीन चरण-I के 866 विद्यालयों में से 366 विद्यालयों में (जून 2012) इंटरनेट संयोजन उपलब्ध नहीं था ।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधा अपर्याप्त होने के कारण चरण-I के अनुबन्धों में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। तथापि, चरण-I में मार्च 2010 में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध करा दी गयी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 366 विद्यालयों (42 प्रतिशत) में यह सुविधा अब भी उपलब्ध नहीं थी।

विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर की खरीद में देरी करना।

• चरण-I एवं II के अनुबन्धों के अनुसार ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा उपलब्ध कराना था। चरण-I के अनुबन्ध मई-जून 2008 में तथा चरण-II के अनुबन्ध जून 2010 में निष्पादित किये गये थे। विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर की व्यवस्था तदनुसार अगस्त 2008 तथा अगस्त 2010 तक कर लेनी चाहिये थी क्योंकि अनुबन्धों के अनुसार फर्मों द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला, आपूर्ति आदेश (चरण-I)/आशय पत्र (चरण-II) जारी होने की दिनांक से 75 दिनों में, स्थापित की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा, चरण-I के लिए सॉफ्टवेयर क्रय के आदेश 15 दिसम्बर 2008 मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड को, तथा चरण-II के लिए 30 अगस्त 2010 मैसर्स सिसफोर टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किये। फर्मों द्वारा, चरण-I के लिए सॉफ्टवेयर की आपूर्ति 16 जनवरी 2009 को तथा चरण-II के लिए 04 अक्टूबर 2010 को की गयी तथा इसे कम्प्यूटरों में स्थापित करने में चार से छः सप्ताह का समय लगाया। सॉफ्टवेयर की व्यवस्था में हुई इस विभागीय देरी के कारण विद्यालयों में आईसीटी शिक्षा, चरण-I में छः माह तथा चरण-II में तीन माह की देरी से प्रारम्भ हुई।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि सॉफ्टवेयर खरीद तथा प्रयोगशाला स्थापना अलग-अलग कार्य थे एवं सॉफ्टवेयर की खरीद में राज्य सरकार ने बचत की। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार को दोनों चरणों के लिए सॉफ्टवेयर की व्यवस्था प्रयोगशाला स्थापना की निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कर लेनी चाहिये थी क्योंकि योजना का उद्देश्य ही कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना था।

चरण-II के लिए निविदा स्वीकृति में विलम्ब।

• पीएमईजी द्वारा राजस्थान में चरण-II के लिए 2,000 विद्यालयों की स्वीकृति (नवम्बर 2008 में) प्रदान की गयी थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों (दिसम्बर 2008) के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए योजना फरवरी 2009 से प्रारम्भ हो जानी चाहिये थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा चरण-II के लिए निविदा आमंत्रित (अक्टूबर 2009) की गयी जिसमें दरों की वैधता तकनीकी बोली खोलने की तिथि से 120 दिन रखी गयी थी जिसे आपसी सहमति पर बढ़ाया जा सकता था। निविदा की अनुसूची-X भाग-ब के अनुसार सफल निविदादाता द्वारा विकल्प (शेयर्ड कम्प्यूटिंग एन-1 अथवा शेयर्ड कम्प्यूटिंग एन-2 अथवा क्लाइंट सर्वर) सूचित करना था। शेयर्ड कम्प्यूटिंग में दरें कम आनी थी क्योंकि इसमें अलग-अलग सीपीयू (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) की आवश्यकता नहीं होती। निविदाएं, विकल्पवार दर नहीं देने के कारण निरस्त कर दी गयीं (10 दिसम्बर 2009)। प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2010 रखते हुये, उन्हीं विकल्पों के साथ निविदा पुन: आमंत्रित की गयी (18 दिसम्बर 2009) जिसे स्वीकृत कर लिया गया (जून 2010)।

विभाग द्वारा अंतिम रूप से निविदा स्वीकृति में अत्यधिक समय[66] लिया गया जिसके परिणामस्वरूप योजना की अवधि पांच वर्ष (2009-10 से 2013-14) से घट कर साढे तीन वर्ष (जून 2010 से फरवरी 2014) रह गयी।

राज्य सरकार ने निविदा को अंतिम रूप देने में हुई देरी को प्रक्रियात्मक देरी मानते हुए न्यायोचित ठहराया (नवम्बर 2012)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग ने चरण-II की स्वीकृति में चार माह का समय (नवम्बर 2008 से मार्च 2009 तक), निविदा दस्तावेज स्वीकृत करने में छ: माह से अधिक का समय (अप्रैल 2009 से अक्टूबर 2009 तक) तथा पुन: आमन्त्रण पश्चात निविदा स्वीकृति में आठ माह का समय (नवम्बर 2009 से जून 2010 तक) लगाया।

66. एक वर्ष से अधिक।

इस तथ्य के बावजूद कि यही प्रक्रिया चरण-I में अपनायी जा चुकी थी, विभाग ने चरण-II की निविदा प्रक्रिया में असामान्य देरी की जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा सत्र 2008-09 (5 माह) तथा 2009-10 में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकी।

उपरोक्त यह पुष्ट करता है कि सीईपी में, बिना आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये, स्कूलों का चयन किया गया जो अपर्याप्त आयोजना को इंगित करता है।

2.2.7.2 वित्तीय प्रबन्ध

योजना पर किये जाने वाले व्यय में, भारत सरकार एवं राज्य सरकार का हिस्सा 75:25 के अनुपात में था। केन्द्रीय सहायता राज्य को राशि के उपयोग के आधार पर चरणवार दी जानी थी। केन्द्र एवं राज्य सरकार से हिस्सा प्राप्त होने पर राशि प्रमुख शासन सचिव द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को निर्मुक्त की जानी थी जिसे आगे जिला शिक्षा अधिकारियों[67] जो कि भुगतान अधिकारी थे, को जारी किया जाना था।

सीई एण्ड आईसीटी योजना राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान के माध्यम से संचालित की जा रही थी। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2008-09 से 2010-11 तक निम्न तालिकानुसार राशि प्रदान की गयी जो कि राज्य सरकार द्वारा उपयोग में नहीं ली जा सकी। अत: 2011-12 में कोई राशि प्रदान नहीं की गयी।

योजना में 2008-12 तक बजट आवंटन तथा व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 2 : बजट आबंटन तथा व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा (75 प्रतिशत)			राज्य आयोजना (25 प्रतिशत)				
	संशोधित प्रावधान	भारत सरकार से प्राप्ति	व्यय	संशोधित प्रावधान	व्यय	कुल आवंटन	कुल व्यय	प्रतिशत (व्यय का आबंटन से)
2008-09	25	14.50	11.42	7	3.81	32	15.23	48
2009-10	24	23	21.28	8	5.50	32	26.78	84
2010-11	30	45	33.57	10	11.39	40	44.96	112
2011-12	60	0	29.79	20	10.46	80	40.25	50
योग	**139**	**82.50**	**96.06**	**45**	**31.16**	**184**	**127.22**	**69**

स्त्रोत: विभागीय सूचना एवं वित्त लेखों से

67. चरण-I में विद्यालयों द्वारा 2010-11 तक (मार्च 2011) जिला शिक्षा अधिकारियों से अधिकृति पश्चात विद्यालय विकास समितियों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा था।

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण इंगित करता है कि वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2011-12 में संशोधित बजट में किये गये प्रावधान से क्रमश: ₹ 16.77 करोड़, ₹ 5.22 करोड़ एवं ₹ 39.75 करोड़ कम व्यय किये गये। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक, (2010-11 को छोड़कर जहाँ व्यय आवंटन से अधिक रहा) कुल आवंटन के विरूद्ध व्यय 48 से 84 प्रतिशत तक रहा। प्रभारी अधिकारी, (आईसीटी प्रकोष्ठ) निदेशालय ने बताया (मई 2012) कि भारत सरकार से प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग योजना के क्रियान्वयन में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012) कि चरण-I एवं चरण-II के देरी से चालू होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

2.2.7.3 योजना का क्रियान्वयन

योजना के क्रियान्वयन में पायी गयी कमियों की चर्चा नीचे की गयी है:

सॉफ्टवेयर की विलम्बित आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति आरोपित करने का अभाव।

अनुबन्धों की शर्तों एवं नियमों की अनुसूची *V* के अनुसार, साफ्ट वेयर (ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एवं एमएस साफ्टवेयर) विभाग द्वारा उपलब्ध कराना था। तदनुसार विभाग ने मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड के साथ ₹ 7.68 करोड + वैट का एक एमओयू 18 दिसम्बर 2008 को, चरण-I के साफ्टवेयर की खरीद के लिए सम्पादित किया जिसके अनुसार फर्म को 15 दिन में (02 जनवरी 2009 तक) सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करनी थी। एमओयू के क्लॉज 5 के अनुसार देरी से आपूर्ति पर किये जाने पर क्षतिपूर्ति लगायी जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि फर्म ने 14 दिन की देरी से 16 जनवरी 2009 को सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की, फर्म को समयवृद्धि 17 जनवरी 2009 तक, बिना क्षतिपूर्ति लगाये स्वीकृत कर दी गयी। फर्म ने देरी का कारण अनापेक्षित परिस्थितियों को बताया तथापि बिना क्षतिपूर्ति समयवृद्धि स्वीकृत करते समय विशिष्ट कारण अभिलिखित नहीं किये गये थे। परिणामस्वरूप फर्म को ₹ 0.80 करोड़ का अदेय लाभ प्रदान किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि समयवृद्धि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (जीएफ एण्ड एआर) के अनुसार तथा प्रकरण के गुण/दोष के आधार पर बिना क्षतिपूर्ति स्वीकृत की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि फर्म ने देरी का कोई औचित्य नहीं बताया एवं अभिलेखों में प्रकरण के गुण/दोष का विश्लेषण भी उपलब्ध नहीं था।

क्रयादेश जारी करने में देरी/ क्रयादेश जारी नहीं करना।

- उप निदेशक, चूरू एवं उदयपुर के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि यद्यपि चरण-I में उप निदेशक, उदयपुर द्वारा मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड के साथ 03 जून 2008 को अनुबन्ध कर लिया गया था, कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापना के लिए आपूर्ति आदेश 18 जून 2008 को, 15 दिन बाद

दिया गया। उप निदेशक, चूरू द्वारा 31 जुलाई 2012 तक भी कार्यादेश जारी नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि उप निदेशक, उदयपुर द्वारा आपूर्ति आदेश में की गई देरी आकस्मिक थी क्योंकि अधिकारी 17 जून 2008 तक राजकीय यात्रा पर थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आपूर्ति आदेश जारी करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी। उप निदेशक, चूरू द्वारा आपूर्ति आदेश जारी नहीं करने के सम्बन्ध में बताया गया कि स्वीकृति पत्र में आपूर्ति आदेश भी शामिल था, अत: अलग से आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया गया। उत्तर अमान्य था क्योंकि अन्य सभी छ: मण्डल अधिकारियों द्वारा स्वीकृति पत्र तथा आपूर्ति आदेश दोनों जारी किये गये थे।

चरण-II के अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए एंटीवायरस के अद्यतन किये जाने/नवीनीकरण का अभाव।

लेखापरीक्षा में विदित हुआ कि फर्म, जिसे सॉफ्टवेयर आपूर्ति का आदेश दिया गया था, ने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मय एंटीवायरस एक वर्ष के लिए निशुल्क आपूर्ति की (अक्टूबर 2010) जिसकी अवधि सितम्बर 2011 में समाप्त हो गयी। चूँकि चरण-II के अनुबन्ध की अवधि जून 2010 से फरवरी 2014 तक थी, अत: एन्टीवायरस प्रति वर्ष अद्यतन किया जाना चाहिये था। विभाग ने एंटीवायरस अद्यतन फरवरी 2014 तक कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

निदेशक ने बताया (मई 2012) कि इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने भी यह तथ्य स्वीकार किया (नवम्बर 2012)।

संवेदक द्वारा चरण-II में 328 विद्यालयों में इंटरनेट संयोजन उपलब्ध नहीं कराना।

- चरण-II के अनुबन्ध के अनुसार दोनों फर्मों[68] द्वारा उपयुक्त इंटरनेट सेवा प्रदाता के माध्यम से न्यूनतम 256 केबीपीएस सम्बद्धता का इंटरनेट संयोजन सभी 2000 विद्यालयों की प्रत्येक प्रयोगशाला में उपलब्ध कराना एवं संधारित करना था। यह संयोजन सभी कम्प्यूटरों पर प्रोक्सी/साझा आधार पर अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि तक उपलब्ध होना चाहिये था। अनुबन्ध के क्लॉज 15 के तहत उप निदेशकों को यह अधिकार था कि यदि फर्म द्वारा यह संयोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता तो वे फर्म की जोखिम एवं लागत पर इंटरनेट संयोजन प्राप्त कर सकते थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्मों द्वारा चयनित 12 जिला शिक्षा अधिकारियों के तहत 741 विद्यालयों में से 328 विद्यालयों में इंटरनेट संयोजन स्थापित नहीं किया गया। उप निदेशकों द्वारा भी न तो फर्मों के विरूद्ध ₹ 17.22 लाख[69] की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और ना ही उनकी जोखिम एवं लागत पर इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराये गये। उप निदेशकों की

---

68. मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड अजमेर, भरतपुर, चूरू, जयपुर एवं उदयपुर मण्डलों के लिए एवं मैसर्स पीयरसन एजूकेशन सर्विसेज प्रा.लि. कोटा एवं जोधपुर मण्डलों के लिए।

69. सितम्बर 2010 से मई 2012 तक ₹ 250 प्रतिमाह की दर से (बीएसएनएल की दर)।

कार्यवाही के अभाव में छात्र इंटरनेट सुविधा से वंचित रहे एवं फर्मों को अनुचित फायदा मिला।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि वसूली के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

चरण-II में 94 विद्यालयों में प्रदत्त इंटरनेट सुविधा अकार्यशील रहना।

• उप निदेशक, जोधपुर एवं कोटा के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि 450 विद्यालयों में से 94 विद्यालयों (पाली: 75 एवं झालावाड़: 19) में फर्म द्वारा प्रदत्त इंटरनेट संयोजन अक्टूबर 2011 से सम्बन्धता के अभाव में (पाली) अथवा संयोजन की तिथि से (झालावाड़) कार्य नहीं कर रहे थे। प्रकरण की सूचना उच्च अधिकारियों को प्रदान की जा चुकी थी (मार्च 2012) लेकिन कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी (जून 2012)। इस प्रकार इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में उप निदेशकों की असफलता के कारण 94 विद्यालयों में छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पायी।

राज्य सरकार ने (नवम्बर 2012 में) बताया कि इस संबंध में सेवा प्रदाता फर्मों को इन विद्यालयों को डोंगल (एक हार्डवेयर सुविधा जो कि कम्प्यूटर/यूएसबी के साथ जोडी जाती है जिससे इन्टरनेट संयोजन स्थापित हो जाता है) उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं एवं उपनिदेशकों को सम्बन्धित फर्मों से इंटरनेट संयोजन उपलब्ध नहीं कराने की दशा में वसूली करने के निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।

चोरी गये हार्डवेयर/ उपकरणों का फर्मों द्वारा प्रतिस्थापन का अभाव।

चरण-I एवं चरण-II के अनुबन्धों में व्यवस्था थी कि उपकरणों की सुरक्षा/संरक्षा की जिम्मेदारी फर्मों की होगी तथा इसके लिए फर्मों द्वारा किसी बीमा कम्पनी से चोरी/अग्नि आदि का बीमा कराना होगा । इसके आगे, उप निदेशकों को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि फर्म ऐसा करने में असफल रहती है तो वे उनकी जोखिम एवं लागत पर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 4500 में से 150 विद्यालयों (चरण-I : 92 एवं चरण-II : 58) में हार्डवेयर/उपकरण अगस्त 2008 से अप्रैल 2012 के मध्य चोरी हुए। फर्मों द्वारा 20 विद्यालयों (चरण-I : 15 एवं चरण-II : 5) में हार्डवेयर/उपकरण प्रतिस्थापित कर दिये गये लेकिन शेष 130 विद्यालयों में जून 2012 तक हार्डवेयर/उपकरण प्रतिस्थापित नहीं किये गये। सम्बन्धित उपनिदेशकों/निदेशकों द्वारा न तो फर्मों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी और न ही फर्मों की जोखिम एवं लागत पर उपकरण प्रतिस्थापित किये गये।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार कर (नवम्बर 2012) बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं कि वे चोरी गये हार्डवेयर के प्रतिस्थापन के लिये आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर लें। यह भी बताया कि फर्मों द्वारा कुछ विद्यालयों में उपकरण प्रतिस्थापित किये जा चुके हैं।

चरण-II में सॉफ्टवेयर की मूल सीडी विद्यालयों को नहीं लौटाया जाना।

• चरण-II के अनुबन्ध के अनुसार सभी चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर में सॉफ्टवेयर की स्थापना हेतु ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की व्यवस्था विभाग द्वारा की जानी थी। तदनुसार विभाग ने ₹ 7.90 करोड + मूल्य संबर्धित कर (वैट) की लागत पर 4000 सीडी मैसर्स सिसफोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एसटीएल) से क्रय की तथा दोनों फर्मों (मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड एवं मैसर्स पीयरसन एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को 2000 विद्यालयों के कम्प्यूटरों में स्थापित करने के लिए सौंप दी। चूंकि सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा क्रय किया गया था अत: स्थापना के बाद फर्मों द्वारा सीडी विभाग को वापस लौटायी जानी चाहिये थी।

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि फर्मों ने स्थापना के बाद मूल सीडी विद्यालयों को नहीं लौटायी।

निदेशक द्वारा बताया गया (मई 2012) कि फर्मों को सीडी, कम्प्यूटरों में स्थापना के लिए दी गयी थी। उत्तर में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि फर्मों को मूल सीडी अपने पास रखने की अनुमति देने के क्या कारण थे। इस प्रकार विभाग द्वारा फर्मों को अनुचित फायदा दिया गया क्योंकि सीडी जो कि विभाग की सम्पत्ति थी, को वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

कम्प्यूटर प्रयोगशाला में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लेन) का अभाव।

• चरण-I के अनुबन्ध के अनुसार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लेन) का कार्य फर्मों द्वारा किया जाना था जिससे प्रयोगशाला के समस्त 10 कम्प्यूटर इन्टरनेट से जुड सकें।

जिला शिक्षा अधिकारी-II भीलवाड़ा के अन्तर्गत विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्यों से एकत्रित सूचनाओं में पाया गया कि 48 विद्यालयों में से चरण-I के 23 विद्यालयों में फर्म द्वारा *लेन* उपलब्ध नहीं किया गया। *लेन* के अभाव में शेष 9 कम्प्यूटरों से इन्टरनेट सम्बन्धी शिक्षण/प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका। विभाग द्वारा फर्म के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही फर्म की जोखिम एवं लागत पर *लेन* उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार *लेन* की अनुपलब्धता के कारण इन विद्यालयों के विद्यार्थी इन्टरनेट सुविधा से वंचित रहे। साथ ही फर्म के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सरकार द्वारा इन तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012)।

कम्प्यूटर सम्बन्धी विवरण की सीडी आपूर्ति का अभाव।

• चरण-II के अनुबन्ध की सामान्य शर्त के क्लॉज 23(XVII) के अनुसार फर्म द्वारा आपूर्तित प्रत्येक डेस्कटोप की स्थितिवार क्रम संख्या एवं डेस्कटॉप के सादृश्य प्रमुख आन्तरिक अवयवों की एकल पहचान संख्या की सीडी उपलब्ध करवायी जानी थी। फर्म द्वारा स्थिति की जानकारी, संपत्ति प्रतिवेदन प्रणाली के वेवसाइट अवयव पर अद्यतन भी की जानी थी।

यह विदित हुआ कि फर्म द्वारा किसी भी मण्डल में सीडी प्रदान नहीं की गयी और सीडी के अभाव में उप निदेशकों के पास हार्डवेयर के विवरण की

स्थितिवार कोई सूचना नहीं थी। उप निदेशकों द्वारा फर्मों से यह सूचना प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार कर बताया (नवम्बर 2012) कि विद्यालयों को आपूर्ति किये गये उपकरणों की स्थितिवार क्रमिक संख्या की सीडी प्राप्त करने के निर्देश जारी कर दिये गये थे।

स्मार्ट विद्यालय की स्थापना का अभाव।

- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में दो स्मार्ट विद्यालयों (राजस्थान राज्य के लिए जनवरी 2010 में संशोधित कर पांच) की स्थापना की जानी थी।

समीक्षा में पाया गया कि राजस्थान में कोई भी स्मार्ट विद्यालय स्थापित नहीं किया गया। विभाग द्वारा 14 सितम्बर 2011 को पीएमईजी के सम्मुख दी गयी प्रस्तुति में चार स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना का इरादा दर्शाया गया। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2012 तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

निदेशक द्वारा तथ्य स्वीकार किये (अगस्त 2012) गये।

2.2.7.4 योजना का प्रभाव

योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु लेखापरीक्षा में 100 विद्यालयों (चरण-I: 60 एवं चरण-II: 40) का सर्वेक्षण किया गया। लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार रहे:

- आठ चयनित जिलों में 72 विद्यालयों (चरण-I : 44 एवं चरण-II : 28) में विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। कम्प्यूटर प्रयोगशाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका के अभाव में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की सटीक संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया एवं बताया (नवम्बर 2012) कि अलग उपस्थिति पंजिका बनाने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

- योजना एवं अनुबन्ध में कम्प्यूटर प्रयोगशाला में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हेतु जनरेटर का प्रावधान रखा गया था। नमूना जांच में पाया गया कि 77 विद्यालयों में जनरेटर, कम्प्यूटर प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला की विद्युत लाइन, से जुड़े हुए नहीं थे। इस प्रकार जनरेटर तैयार हालत में नहीं थे एवं अप्रयुक्त पड़े हुए थे। यह इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि फर्म द्वारा डीजल खपत का कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि अधिकतर विद्यालयों में जनरेटर कम्प्यूटर प्रयोगशाला से जुड़े हुए थे यद्यपि कुछ विद्यालयों में अलग स्थानों पर

रखे हो सकते थे। जनरेटर उपयोग होने पर डीजल के खर्चे फर्म से वसूल किए जा रहे थे। जबाव स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना जॉच किये गये उपरोक्त विद्यालयों में जनरेटर, कम्प्यूटर प्रयोगशाला से जुड़े नहीं पाये गये और डीजल खपत अभिलेखों के अभाव में फर्म से डीजल के खर्चों की वसूली संभव नहीं थी।

• नमूना जॉच के 66 विद्यालयों में प्रोजेक्टर सही अवस्था में थे परन्तु उनका प्रयोग शिक्षण उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि सभी विद्यालयों में प्रोजेक्टर उपलब्ध थे और शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किये जा रहे थे। जबाव स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि नमूना जॉच किये गये विद्यालयों में पाया गया कि प्रोजेक्टर का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

• नमूना जॉच के 40 विद्यालयों में 154 कम्प्यूटर निष्क्रिय पड़े थे। इस कारण विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त महाराजा बदन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर द्वारा एक कम्प्यूटर संभागीय आयुक्त को दिया गया था।

• चरण-I एवं चरण-II के अनुबन्ध के अनुसार फर्म को शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। नमूना जॉच किये गये समस्त 100 विद्यालयों की जांच में पाया गया कि अप्रैल 2011 तक अध्यापकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके पश्चात् भी 74 चयनित विद्यालयों में जुलाई 2012 तक कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया एवं शेष 26 विद्यालयों में अधिकतम 15 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि सम्बन्धित मण्डलों से सूचना मांगी गयी है एवं फर्म को अनुपालना के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

• 92 विद्यालयों में विषयों की सीड़ी प्रदान नहीं की गयी। राज्य सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012) और बताया कि फर्मों को बहुमाध्यम शिक्षा सामग्री विकसित किए जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

• नमूना जॉच के 31 विद्यालयों (चरण-I : 8 चरण-II : 23) में इन्टरनेट संयोजन प्रदान नहीं किया गया और 69 विद्यालयों में यह चार से 42 माह विलम्ब से प्रदान किया गया। दिलचस्प बात रही कि चार विद्यालयों में इन्टरनेट संयोजन कम्प्यूटर प्रयोगशाला के स्थान पर कार्यालय में प्रदान किया गया। सात विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला में इन्टरनेट संयोजन (डोंगल) कार्य नहीं कर रहे थे।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किया गया (चरण-II) एवं बताया गया (नवम्बर 2012) कि फर्म एवं उप निदेशकों को सभी विद्यालयों में

इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराने एवं जहाँ डोंगल देरी से दिया गया अथवा कार्य नहीं कर रहा है, वसूली के लिए आदेश/निर्देश दे दिए गए हैं।

• नीचे दी गई तालिका में 45 विद्यालयों (चरण-I : 33 एवं चरण-II : 12) मे अनुदेशक की नियुक्ति में 7 दिन से 24 माह तक के विलम्ब का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका 3 : अनुदेशकों की नियुक्ति में देरी

विलम्ब	विद्यालयों की संख्या
182 दिन तक	28
183 से 365 दिन	09
366 से 547 दिन	04
548 से 730 दिन	04

इसमें से 22 विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति अन्तर्विराम से की गई थी। इस प्रकार अनुदेशकों की नियुक्ति लगातार एवं संतोषजनक नहीं थी।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि देरी की गणना, अनुदेशक की नियुक्ति दिनांक या प्रयोगशाला स्थापना, जो भी बाद में हो, से की गयी। जबाव स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा आक्षेप, अनुदेशक की नियुक्ति विलम्ब से एवं अन्तर्विराम से करने से था न कि कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना से।

2.2.8 क्षमता निर्माण

2.2.8.1 शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रावधान की अनुपालना नहीं होना

चरण-I एवं चरण-II के अनुबन्धों के अनुसार फर्मों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, प्रत्येक विद्यालय के शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों को विभागीय सारणी के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम तीन माह, कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चरण-I में जयपुर, अजमेर, चूरू, जोधपुर, कोटा और उदयपुर मण्डलों में, सभी चयनित विद्यालयों के शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों को अवधि 2008-09 से 2010-11 तक फर्म मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। तथापि, 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (मई 2011 और मई 2012) आयोजित किए गए वे भी आधारभूत कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित थे। भरतपुर मण्डल में फर्म मैसर्स एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा ऐसा कोई प्रशिक्षण मई 2012 तक नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि चरण-II में जोधपुर एवं कोटा मण्डलों में तीन से पाँच दिवसीय (मई 2011 और मई 2012) आधारभूत प्रशिक्षण, फर्म मैसर्स पीयरसन एडयूकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया। पाँच मण्डलों (अजमेर, भरतपुर, चूरू, जयपुर, उदयपुर) में मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा 1 से 15 मई 2011 तक और 1 से 15 मई 2012 तक आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

लेखापरीक्षा में यह भी दृष्टिगत हुआ कि 1 मई से 15 मई 2011 तक आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति बहुत कम थी (जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर : 106 में से 12, पाली : 390 में से 181 एवं बाड़मेर : 348 में से 126)। किसी भी मण्डल में प्रशिक्षित कर्मचारियों का कोई डाटाबेस संधारित नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि 4417 शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका हैं। मण्डल अधिकारियों को प्रशिक्षण शिविरों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया जा चुका है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबंधानुसार न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जाना चाहिए था जबकि प्रशिक्षण मात्र कुछ दिन का ही प्रदान किया गया वह भी आधारभूत कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित था न कि कम्प्यूटर आधारित शिक्षण।

शिक्षक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बद्वता नहीं रहना।

- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर आधारित शिक्षण में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को सम्बद्ध किया जाना चाहिये था। पीएमईजी की बैठक (अगस्त 2007) के निर्णयानुसार शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर आधारित शिक्षण हेतु उचित सामग्री एवं मॉड्यूल राज्य सरकार को विकसित करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि, अनुबन्ध में शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान था किन्तु विभाग ने न तो प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया और ना ही इस बारे में एनसीटीई की मदद ली। फर्मों द्वारा मई 2011 एवं इसके पश्चात अध्यापकों को प्रदत्त प्रशिक्षण, विशिष्ट प्रशिक्षण न होकर मात्र आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि एनसीटीई से कोई प्रशिक्षण मॉड्यूल प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु विभाग ने स्वयं ही प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया । प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना जॉच किए गए विद्यालयों में ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं पाया गया।

2.2.9 अनुश्रवण

2.2.9.1 त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन पीएमईजी को नहीं भेजा जाना

योजना के दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार द्वारा पीएमईजी को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान था। पीएमईजी को अनुश्रवण समिति की तरह भी कार्य करना था। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि पीएमईजी को जून 2008 से मार्च 2012 के दौरान ऐसे कोई भी प्रतिवेदन नहीं भेजे गए थे।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 23 जुलाई 2012 को एमएचआरडी को भेजा गया है किन्तु प्रत्युत्तर में त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करने के कोई कारण स्पष्ट नहीं किये गये थे।

2.2.9.2 राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति स्थापित न करना

प्रमुख शासन सचिव (विद्यालय व संस्कृत शिक्षा) की अध्यक्षता में हुई बैठक (20 दिसम्बर 2007) में लिए गए निर्णयानुसार योजना के प्रबन्धन एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तर, मण्डल स्तर, आयुक्त स्तर और राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का राज्य स्तर पर गठन किया जाना था। तदनुसार, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रस्ताव भेजे गए (29 दिसम्बर 2007) और राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय, मण्डल स्तरीय व आयुक्त स्तरीय समितियाँ अनुमोदित की गई (22 जनवरी 2008)। तथापि, राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति के लिये प्रस्ताव नहीं बनाया गया। लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि विभाग द्वारा राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि राज्य स्तरीय समिति वर्तमान में विद्यमान हैं। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन सम्बन्धी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये।

2.2.9.3 अनुश्रवण समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तान्त संधारित नहीं करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जिला, मण्डल एवं आयुक्तालय स्तर पर अनुश्रवण समितियों के गठन का अनुमोदन किया गया था (जनवरी 2008)। लेकिन बैठकों के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गयी। अनुश्रवण समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तान्त भी संधारित नहीं किए गए थे। आगे, उप निदेशक जयपुर में कोई समिति गठित नहीं की गयी थी और जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा प्रथम और द्वितीय, चित्तौड़गढ़ और उप निदेशक, चूरू में समितियों की बैठक नहीं हुई थी।

सरकार ने पुष्टि करते हुये कहा (नवम्बर 2012) कि यद्यपि मण्डल और जिला स्तर समितियों की बैठकें हुई थी किन्तु कार्यवृत्तान्त संधारित नहीं किये गये।

2.2.9.4 स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन का अभाव

योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान था कि विभाग योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा करवाने की संभावना का पता लगाएगा। पीएमईजी ने, राजस्थान राज्य की कम्प्यूटर शिक्षा योजना (चरण-*I*) को स्वीकृति प्रदान करते हुए अपनी बैठक (अगस्त 2007) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि कार्यक्रम को समेकित करने एवं स्वतंत्र एजेन्सी जैसे आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी अभियान्त्रिकी महाविद्यालय इत्यादि द्वारा अनुश्रवित करवाने की आवश्यकता होगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना का मूल्यांकन मार्च 2012 तक स्वतंत्र एजेन्सी से नहीं करवाया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि चरण-I के मूल्यांकन के लिए एक फर्म (मैसर्स प्लानमेन कनसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली) का चयन कर लिया गया है।

2.2.9.5 आन लाइन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) इन्टरएक्टिव सॉफ्टवेयर प्रदान करने का अभाव

चरण-II के अनुबन्ध के अनुसार फर्म, विद्यालय स्तर एवं केन्द्रीय स्तर (उप निदेशक) पर प्रभावी क्रियाकलाप प्रबन्धन हेतु वेब आधारित, ऑन लाइन एमआईएस सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी। यह सॉफ्टवेयर छात्रों से सम्बन्धित सूचना, कम्प्यूटर अनुदेशक से सम्बन्धित सूचना, प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रतिक्रिया, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल, प्रतिवेदन तैयार करना, भुगतान, जाँच बिन्दु, जनरेटर उपयोग एवं उपभोग्य सामग्री का निर्गमन एवं उपयोग इत्यादि सूचनाएं संकलित करेगा। यह सॉफ्टवेयर सूचनाओं के साथ भुगतान हेतु बिल भी तैयार करेगा। फर्म द्वारा एमआईएस सॉफ्टवेयर विकसित कर, विभाग/समिति के सम्मुख अनुमोदन/परिवर्तन हेतु 08 सितम्बर 2010 तक प्रस्तुत किया जाना था। फर्म द्वारा सम्बन्धित मण्डल में स्वयं के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए प्रबन्ध सूचना प्रणाली को समर्थित एवं क्रियान्वित करना था।

नमूना जांच (मई-जुलाई 2012) में पाया गया कि फर्म मैसर्स कम्प्यूकॉम साफ्टवेयर लिमिटेड (जयपुर, उदयपुर, चूरू एवं अजमेर) एवं मैसर्स पीयरसन एज्यूकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (कोटा एवं जोधपुर) ने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रदान नहीं किया । यद्यपि, इसे 08 सितम्बर 2010 तक विकसित किया जाना था। सम्बन्धित उप निदेशकों द्वारा फर्मों के विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार फर्मों की जोखिम एवं लागत पर सॉफ्टवेयर प्राप्त करने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस प्रकार विभाग के पास चयनित विद्यालयों की संख्या, लाभान्वित विद्यार्थी, इन्टरनेट सुविधायुक्त विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण, ई-सामग्री इत्यादि से सम्बन्धित कोई वेव आधारित डाटावेस नहीं था।

सरकार ने तथ्य स्वीकार किया (नवम्बर 2012) एवं बताया कि प्रबन्ध सूचना प्रणाली के डाटा फीडिंग के लिए चार जिलों (बीकानेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर एवं कोटा) को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया हैं।

2.2.10 निष्कर्ष

कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना, विद्यालयों में निर्माण-स्वामित्व-परिचालन-हस्तान्तरण (बूट) मॉडल के आधार पर, दो चरणों में लागू की गई है। योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर हुआ कि भारत सरकार को प्रेषित कम्प्यूटर शिक्षा योजना (सीईपी) में विद्यालयों का चयन बुनियादी सुविधाओं की सुनिश्चितता किये बिना किया गया एवं पूर्व योजना में चयनित किये गये विद्यालयों की पुनरावृत्ति की गई। चरण-I के अनुबन्ध में इन्टरनेट संयोजन का प्रावधान नहीं किया गया, दोनों चरणों में विभाग ने परिचालन सॉफ्टवेयर विलम्ब से प्रदान किया और चरण-II की निविदा को अन्तिम रूप देने में विलम्ब किया। चरण-II के विद्यालयों में इन्टरनेट संयोजन प्रदत्त/कार्यशील नहीं थे। चोरी गये हार्डवेयर एवं उपकरण, फर्म द्वारा पुनः स्थापित नही करना भी दृष्टिगत हुआ। सामर्थ्य बढ़ोतरी का कार्य पृष्ठ भूमि में रहा। कम्प्यूटर से शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बद्धता नहीं पायी गयी। अनुश्रवण लगभग शून्य रहा क्योंकि चरण-II में फर्म द्वारा उपनिदेशकों को दिया जाने वाला एमआईएस अन्तरसक्रिय सॉफ्टवेयर प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा पीएमईजी को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजा गया। राज्य स्तरीय उच्च अधिकार समिति नहीं बनायी गई। जयपुर मण्डल में उप निदेशक स्तर की समिति नहीं बनायी गयी। मण्डल एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा बैठकों के कार्य वृतांत नहीं बनाये गये थे।

2.2.11 अनुशंषाऐं

- विभाग द्वारा योजना का प्रभावी एवं अबाध क्रियान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।
- विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फर्म अपना उत्तरदायित्व समय पर एवं अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कर रही है।
- विभाग द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जाना चाहिये एवं प्रत्येक शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारी को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।
- योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि प्रत्येक स्तर पर कार्यशील समितियों का गठन कर लिया गया है। साथ ही प्रबन्ध सूचना प्रणाली के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता है।